[2018] 2 एस. सी. आर 940

संपूर्णा बेहुरा

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2005 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 473)

फरवरी 09,2018

[मदन बी. लोकुर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

जनहित याचिकाः बच्चों के लिए लाभकारी कानूनों का गैर-कार्यान्वयन या विलंबित कार्यान्वयन-किशोर न्याय अधिनियम

2000 और 2015 का अधिनियम-2000 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकारों की विफलता, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ,

बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गृहों की स्थापना, कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की जीवन स्थितियों में सुधार-रिट याचिका यू/आर्ट। 32 के मुख्य सचिवों और महानिदेशकों को निर्देश देना

सभी राज्यों के पुलिस और पुलिस अधीक्षकों को 2000 के अधिनियम को तुरंत लागू करने और राज्यों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश-आयोजित किए गए: देश में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, किशोर न्याय अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कुछ निर्देश जारी किए गए-मुख्य न्यायाधीश

प्रत्येक जिला किशोर न्याय (देखभाल और बचाव) में बाल अनुकूल अदालतों और संवेदनशील गवाह अदालतों की स्थापना के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय

बाल संरक्षण) अधिनियम, 2000-किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015-भारत का संविधान-कला। 32 .

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. सुझाव और सुझावः

(i) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग

(क) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

एक निकाय का गठन करने के लिए केंद्र सरकार का प्रावधान

एस. सी. पी. सी. आर. (राज्य) के रूप में जाने जाने वाले निकाय का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग) राज्य स्तर पर।

[पैरा 56] [968-सी]

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर, एन. सी. पी. सी. आर. एक ऐसा संस्थान है जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और उनके संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस प्रकार, उनसे कल्याण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है

प्रत्येक एस. सी. पी. सी. आर. और अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बच्चे। राज्य स्तर पर, एस. सी. पी. सी. आर. एक समान रूप से महत्वपूर्ण निकाय है जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और विशेषज्ञ शामिल हैं। उनसे नीतिगत निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है।

अपने राज्य में बच्चों के लाभ के लिए, चाहे बच्चे मूल रूप से किसी भी राज्य के हों, क्योंकि एक राज्य के ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन दूसरे राज्य के बाल देखभाल संस्थान में। एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. के कार्य कमोबेश समान हैं, सिवाय इसके कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यों को करता है, जबकि दूसरा राज्य स्तर पर इन कार्यों को करता है। [पारस 57,58] [969 ईसा पूर्व-डी]

(ग) एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. दोनों की एक सीमा और विविधता है।

निष्पादित करने के लिए कार्य और उनमें से प्रत्येक में बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है। यह समझने के लिए दिया जाता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों इन निकायों को व्यापक नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दे रही हैं और वास्तव में कुछ मामलों में, विशेष रूप से एस. सी. पी. सी. आर. से संबंधित, कई महीनों से रिक्तियों को नहीं भरा गया है। दुर्भाग्य से, एक समय पर, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष का पद भी कई महीनों तक खाली पड़ा था, जब तक कि इस न्यायालय के निर्देश पर, इस पद को अंततः भरा नहीं गया। जब तक कि एनसीपीसीआर और एस. सी. पी. सी. आर. को उचित महत्व नहीं दिया जाता है

भारत सरकार और राज्य सरकारें और रिक्तियां

सरकारें लागू नहीं होंगी या उनका कार्यान्वयन अधूरा और प्रतीकात्मक रहेगा। [पैरा 59] [971-बी-ई] (घ) यह आशा और विश्वास है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों में अधिकार और शक्ति रखने वाले लोग संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के महत्व की सराहना करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एन. सी. पी. सी. आर. और राज्य स्तर पर एस. सी. पी. सी. आर. वास्तव में कार्य करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। [पैरा 60] [971 ई-एफ] [2018] 2 एस. सी. आर.

((ii) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई

(क) राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई के गठन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि पुलिस और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारक इन दोनों निकायों के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल हों। राज्य के कार्य

भारत सरकार द्वारा बनाए गए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 84 और नियम 85 में इसका विवरण दिया गया है। कार्य विविध, व्यापक और बच्चों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए तैयार हैं। विभिन्न रणनीतियों और सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ। [पैरा 61,62] [972-ए-सी]

(ख) जेजे अधिनियम की धारा 106 में राज्य स्तर की बाल संरक्षण सोसायटी और जिला स्तर की बाल संरक्षण इकाई के गठन का प्रावधान है। धारा 106 जेजे अधिनियम मोटे तौर पर इंगित करता है कि राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई का प्राथमिक कार्य जेजे अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, ये निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि जेजे अधिनियम के तहत संस्थानों की स्थापना और रखरखाव किया जाए, बच्चों और उनके संबंध में सक्षम अधिकारी। पुनर्वास हो रहा है और इन दोनों निकायों को सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करने की भी आवश्यकता है।

उनके व्यापक कार्यों का निर्वहन करें। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नागरिक समाज की भागीदारी एक प्रगतिशील कदम है और इन दोनों निकायों से समय-समय पर उनकी सहायता लेने की उम्मीद की जाती है। यदि ये दोनों निकाय वास्तव में अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और कार्यों को उनसे अपेक्षित तरीके से करते हैं, तो जेजे अधिनियम का कार्यान्वयन अब कोई मुद्दा नहीं होगा। दुर्भाग्य से, ये निकाय कई स्थानों पर या जिस तरह से अपेक्षित हैं, उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं और कई जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन भी नहीं किया गया है। उम्मीद है कि सभी संबंधितों द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। [पारस 63-65] [972-D, G-H; 973-A-B]

((iii) किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियाँ

(क) जेजेबी के सदस्यों के रूप में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति आवश्यक रूप से धारा संपूर्णा बेहुरा v के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

भारत और ओआरएस का संघ।

4 जे. जे. अधिनियम। जेजेबी के सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन आदर्श नियमों के नियम 87 के साथ पठित नियम 88 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति गंभीर व्यवसाय है, क्योंकि वे जेजे अधिनियम के तहत जांच करते समय अपने अनुभव-व्यावहारिक और पेशेवर-को लाते हैं। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसकी सराहना की जाती है कि सामाजिक कार्यकर्ता प्रधान मजिस्ट्रेट से स्वतंत्र जांच भी कर सकते हैं जैसा कि जेजे अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान किया गया है। हालाँकि, जाँच का अंतिम निपटान प्रधान मजिस्ट्रेट के बिना नहीं हो सकता है जैसा कि धारा 7 की उप-धारा (3) के परंतुक में अनिवार्य है। इस प्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर एक भारी जिम्मेदारी है कि वे जांच के दौरान और उसके निपटारे के समय भी सार्थक योगदान दें। [पारस 67,68] [973-ई; 974-सी-ई]

(ख) प्रधान मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका प्रावधान मॉडल नियमों के नियम 89 में किया गया है। दुर्भाग्य से, प्रशिक्षण की अवधि और पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, और प्रधान मजिस्ट्रेट और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की प्रकृति कुछ हद तक तदर्थ और असंरचित है। सार्थक और प्रभावी प्रशिक्षण (और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम) की कमी का एक जांच के अंतिम स्वभाव के साथ-साथ जेजेबी के समक्ष कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर के पुनर्वास और पुनर्एकीकरण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। गंभीर विचार की आवश्यकता है

(ग) यदि बड़ी संख्या में पूछताछ लंबित हैं, तो जे. जे. बी. का दायित्व है कि वह दैनिक आधार पर बैठक करे ताकि जांच जे. जे. अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जा सके। जहां बड़ी संख्या में पूछताछ लंबित हैं, वहां राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के लिए एक से अधिक जेजेबी होने पर विचार करना सार्थक होगा। [पैरा 71] [975-ई-एफ] (घ) जेजेबी वस्तुतः न्यायालय की प्रकृति का है, हालाँकि यह मुकदमा नहीं चलाता है, बल्कि केवल जांच करता है। फिर भी, यह [2018] 2 एस. सी. आर.

अपने कार्यों को कुशलता से करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जेजेबी के कई प्रशासनिक कार्य भी हैं और उन्हें उचित ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जेजेबी, अवलोकन गृह के अधिकारियों, पुलिस, कानून के साथ संघर्ष में किशोर और उस किशोर के माता-पिता और पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ-साथ कानून के साथ संघर्ष में किशोर के बीच प्रभावी समन्वय हो सके। यदि जेजेबी को प्रभावी ढंग से काम करना है तो इन प्रशासनिक कर्तव्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और एक अनौपचारिक बयान कि जेजेबी के पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, हालांकि संभवतः सही है, जेजेबी के समक्ष जांच में भाग लेने वाले हितधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न तो यहां है और न ही वहां है। [पैरा 72] [973-ए-सी]

(ई) गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता वकीलों की सख्त आवश्यकता है जो कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की सहायता कर सकें। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे राज्य कानूनी सेवाओं द्वारा पूरी गंभीरता के साथ उठाया जाना चाहिए।

प्राधिकरण। जब तक किसी बच्चे को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, तब तक यह उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता है, खासकर अगर बच्चा संघर्ष में है।

कानून के साथ दोषी पाया जाता है और एक विशेष गृह में रखा जाता है। अपनी ओर से, एन. ए. एल. एस. ए. ने कानूनी सहायता वकीलों के प्रशिक्षण के लिए एक नियमावली तैयार की है और यह माना जाता है कि यह न केवल कानूनी सहायता वकीलों के लिए बेहद उपयोगी होगा जो कानून के साथ संघर्ष में किशोरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्कि आम तौर पर कानूनी सहायता वकीलों के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। इसी तरह, अभियोजकों को भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है और राज्य सरकारें जेजे अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी, जो समाज में कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर को फिर से एकीकृत करना और उस किशोर का पुनर्वास करना है। [पैरा 73] [976-डी-एफ]

(च) मोडल नियमों के नियम 64 से यह स्पष्ट है कि एक परिवीक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है कि कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर को जेजेबी के समक्ष पर्याप्त प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई दी जाए और जांच इस तरह से की जाए जो कानून के साथ संघर्ष में किशोर के पुनर्वास के लिए अनुकूल हो। इस संबंध में, एक व्यक्तिगत देखभाल योजना की तैयारी और रिलीज के बाद की योजना को अत्यधिक महत्व और परिवीक्षा प्राप्त होती है।

अधिकारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। [पैरा 75] [978-एफ-जी]

(छ) यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक परिवीक्षा अधिकारी होना चाहिए

अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण, संवेदनशीलता और जागरूकता प्रदान करना। एन. ए. एल. एस. ए. ने संपूर्णा बेहुरा बनाम के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करके इस संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत और ओआरएस का संघ।

परिवीक्षा अधिकारी। यह उम्मीद की जाती है कि सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ एम. डब्ल्यू. सी. डी. भी एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा सुझाए गए सुधारों की तर्ज पर परिवीक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।

वयस्क सीखने की तकनीकों, प्रशिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की सामग्री को नियत समय में बनाया जा रहा है। उक्त निष्कर्ष सी. डब्ल्यू. सी. पर समान रूप से लागू होते हैं। [पैरा 76] [978-जी-एच; 979-ए] ((iv) प्रौद्योगिकी का उपयोग

(क) जेजेबी के साथ-साथ सीडब्ल्यूसी दोनों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है और एमडब्ल्यूसीडी द्वारा दिए गए हलफनामों और प्रस्तुतियों से यह नोट करना निराशाजनक है कि जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के साथ कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों की भारी कमी है। प्रौद्योगिकी न केवल जेजेबीएस और सीडब्ल्यूसी के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि कई अन्य आवश्यकताओं के साथ-साथ लापता बच्चों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने, खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों, तस्करी किए गए बच्चों, बाल देखभाल संस्थानों को छोड़ने वाले बच्चों, बाल यौन शोषण के पीड़ितों और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि हमारा देश एक तकनीकी शक्ति है और यदि उपलब्ध संसाधनों का लाभ नहीं उठाया जाता है और लाभ के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से प्रौद्योगिकी के लाभों का पूरा उपयोग किया जाता है

बच्चों के लिए, एक तकनीकी शक्ति-घर के रूप में हमारी स्थिति खतरे में होगी और केवल कागज पर ही रहेगी। डेटा, विशेष रूप से इस तरह के परिमाण का, कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से आसानी से एकत्र किया जा सकता है। यह संसाधनों और एम. डब्ल्यू. सी. डी. और अन्य की योजना और प्रबंधन में बहुत सहायक होगा।

बाल अधिकारों से संबंधित लोगों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। [पैरा 79] [979-ई-एच; 980-ए]

(ख) कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों का उपयोग जेजेबी के प्रशासनिक कामकाज में बहुत बड़ा योगदान देगा और सी. डब्ल्यू. सी. भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों को इस पर ध्यान देने और आवश्यक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

स्पष्ट कारणों से जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को हार्डवेयर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के परामर्श से

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के पर्याप्त उपयोग और नवीन कदमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी तरह, [2018] 2 एस. सी. आर. का उपयोग।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उचित मामलों में भी विचार किया जा सकता है जहां कानून के साथ संघर्ष में किशोर को कुछ असुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। [पैरा 80] [980-बी-सी] (ग) एक ऑनलाइन केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली लाने के लिए एम. डब्ल्यू. सी. डी. की सराहना की जानी चाहिए। यह ऑनलाइन प्रणाली काफी प्रभावी ढंग से काम कर रही है, हालांकि इसे समय-समय पर महीनों बीतने के साथ उन्नत करने की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली पर जानकारी को अद्यतन करने में राज्य सरकारों द्वारा बहुत अधिक सक्रिय सहयोग नहीं दिया जा रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि जानकारी को अद्यतन करना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि कुशल योजना बनाई जा सके जो अंततः बच्चों से संबंधित मुद्दों के बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाएगी। राज्य सरकारों को तिमाही में एक बार केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली पर जानकारी भरने की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से यह एक कठिन काम नहीं हो सकता है। [पैरा 81] [980 डी-ई, एफ]

(v) पुलिस की भूमिका

(ए) प्रभावी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हितधारक

नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। कई राज्यों ने वास्तव में सी. डब्ल्यू. पी. ओ. नियुक्त किए हैं और एस. जे. पी. यू. स्थापित किए हैं। दुर्भाग्य से, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की गई है, लेकिन आम तौर पर मॉडल नियमों के नियम 86 में कहा गया है। इसके अलावा सी. डब्ल्यू. पी. ओ. और एस. जे. पी. यू. के लिए प्रभावी प्रशिक्षण की कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई है और उनमें से कई केवल प्रतीकात्मक रूप से और केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कानून उनके अस्तित्व की आवश्यकता है। चूंकि सी. डब्ल्यू. पी. ओ. और एस. जे. पी. यू. के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट या पहचाना नहीं गया है, इसलिए यह सही समय है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी राज्य पुलिस अकादमियों के परामर्श से सी. डब्ल्यू. पी. ओ. और एस. जे. पी. यू. के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पहचान करें। इस संबंध में, एन. ए. एल. एस. ए. ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन से जुड़े किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों और संपूर्णा बेहुरा बनाम के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

भारत और ओआरएस का संघ।

विशेष किशोर पुलिस इकाई। शायद यह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के माध्यम से उनके प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। विकास और पुलिस अकादमियाँ। [पारस 82,83] [980-जीएच; 981-ई-एच]

(ख) आम तौर पर पुलिस के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि बारी-बारी की नीति के कारण, अक्सर ऐसा होता है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपना प्रशिक्षण पूरा करने के तुरंत बाद उस अधिकारी को दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रयास की बर्बादी है और तबादलों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने का एक तरीका यह है कि प्रत्येक राज्य पुलिस अकादमी राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे और राज्य सरकार अपने अधिकारियों की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करे। इसी तरह, भारत सरकार को बच्चों से निपटने के लिए रेलवे पुलिस को शामिल करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कोई जानकारी या डेटा सामने नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि भारत सरकार रेलवे के माध्यम से इस मामले को कुछ हद तक तात्कालिकता के साथ देखेगी। बड़ी संख्या में भाग रहे बच्चे और बच्चे

ड्रग्स रेलवे स्टेशनों (और अन्य स्थानों) में पाए जाते हैं जो कूड़ा उठाने वालों के रूप में काम करते हैं या अन्य मामूली गतिविधियों को करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि अन्यथा भी, ऐसे बच्चों में नशीली दवाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए और आम तौर पर कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। [पैरा 86] [982-ई-जी]

(vi) बाल देखभाल संस्थान (क) कई बाल देखभाल संस्थान जर्जर इमारतों में स्थित हैं और न्यूनतम स्तर तक भी आरामदायक जीवन के लिए शायद ही अनुकूल हैं। राज्य सरकारों को यह समझना चाहिए कि वे बच्चों की देखभाल में बच्चों को डाल कर कोई दान नहीं कर रहे हैं

संस्थान-वे केवल अपने वैधानिक और संवैधानिक दायित्वों का पालन कर रहे हैं। इसलिए, सभी बाल देखभाल का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता है

प्रत्येक राज्य में संस्थान अपनी स्थिति, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए। बच्चे इन संस्थानों में रहते हैं, इसलिए नहीं कि वे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकांश बच्चे हैं।

देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता। समाज का दायित्व इन बच्चों को सांत्वना और आराम प्रदान करना और [2018] 2 एस. सी. आर. का पालन करना है।

और जेजे अधिनियम। लेकिन, ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, अदालतें संविधान द्वारा अधिनियमित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जनहित में एक निरंतर आदेश जारी करने के लिए बाध्य हैं। संसद, जो अनिवार्य रूप से कार्यपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि कार्यपालिका लगातार लापरवाही के साथ संसद के जनादेश की अनदेखी करती है, तो यह केवल देश के बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा। [पैरा 88] [984-बी-डी]

(ग) एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित और प्रबंधित बाल देखभाल संस्थान जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हों। कुछ संस्थानों से पंजीकरण का कुछ विरोध हुआ है, इस प्रकार, यह स्पष्ट किया जाता है कि कानून का पालन तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि यह क़ानून की पुस्तकों में मौजूद है। इनमें से कुछ बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन करने वालों के लिए यह असहज हो सकता है, लेकिन

(घ) वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि सभी बाल देखभाल में संस्थानों, कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति के आधार पर उम्र और जहां भी लागू हो, बच्चों का अलगाव होना चाहिए ताकि यौन शोषण या किसी अन्य प्रकार की हिंसा की संभावना को समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी संस्थानों को व्यावसायिक या संपूर्णा बेहुरा v प्रदान करने की सलाह दी जानी चाहिए।

भारत और ओआरएस का संघ।

कानून के साथ संघर्ष में बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को फिर से निपटाने की दृष्टि से शिक्षा जारी रखना

समाज में उनका पुनः एकीकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाना। इस बात पर जोर दिया गया कि सभी बाल देखभाल संस्थानों में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों को कुशलता से निभा सकें। यह भी सुझाव दिया गया कि जेजेबी और सीडब्ल्यूसी का स्थान बाल देखभाल संस्थानों के निकट होना चाहिए ताकि बच्चों को इन वैधानिक निकायों के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने से बचा जा सके। ये सब

वकील द्वारा दिए गए सुझाव और सिफारिशें चिंता के विषय हैं और राज्य द्वारा कर्तव्यनिष्ठा से संबोधित किए जाने चाहिए।

सरकारें और एस. सी. पी. सी. आर.। [पारस 90,91] [984-एफ-एच; 985-ए]

(ङ) बाल देखभाल संस्थानों के संबंध में प्रस्तुतियाँ थीं जो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कर सकते हैं। यह पता लगाने के लिए कि क्या वे वास्तव में वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, उनकी अनिर्धारित यात्राएं निश्चित रूप से लागू करने के लायक हैं और एनएएलएसए से सुझाव के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। वास्तव में, 2006 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन ने विशेष रूप से बाल देखभाल संस्थानों में आगंतुकों की नियुक्ति की थी और 2013 और 2015 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बाल देखभाल संस्थानों में रहने की स्थिति में सुधार की भी वकालत की गई थी। एन. ए. एल. एस. ए. और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों का सम्मान करना

मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलनों में व्यक्त विचार। [पैरा 92] [985-बी-सी] (vii) किशोर न्याय कोष

(क) जेजे अधिनियम किशोर न्याय कोष के गठन का प्रावधान करता है। यह काफी दुखद है कि कुछ राज्य सरकारों ने किशोर न्याय कोष की स्थापना भी नहीं की है, जबकि एक या दो राज्य सरकारों ने केवल कुछ हजार रुपये की शर्मनाक राशि के साथ कोष की स्थापना की है। यह आश्चर्य की बात है कि इन राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के कल्याण की देखभाल कैसे की जा सकती है। जाहिर है, ये राज्य सरकारें बच्चों के कल्याण के बारे में गंभीरता से चिंतित नहीं हैं, जो अफ़सोस की बात है। यह बच्चों के अधिकारों के प्रति आधिकारिक उदासीनता और चिंता का कारण है। [पैरा 93] [985-डी-एफ]

(viii) मूल्यांकन और मूल्यांकन (क) यह उचित होगा यदि किसी प्रकार का मूल्यांकन या सामाजिक [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए अगले कुछ वर्षों के लिए हर छह महीने में लेखा परीक्षा की जाती है। 2000 के अधिनियम के बाद से पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और निश्चित रूप से देश के बच्चे बहुत बेहतर के हकदार हैं और अगले 15 या 16 वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकते।

जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। 2000 के अधिनियम के लागू होने के समय पैदा हुए अधिकांश बच्चे वयस्कता के करीब हैं और उनमें से कई को 2000 के अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिला है। यह गलती, एक गंभीर गलती, जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन में दोहराई नहीं जा सकती है। [पैरा 94] [985-जी-एच; 986-ए]

2. निष्कर्ष और निर्देशः

वकीलों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं और देश में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैंः

(i) भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. आर. एस. में सभी पदों को समय पर भरा जाए और इन वैधानिक निकायों को पर्याप्त कर्मचारी प्रदान किए जाएं ताकि वे बच्चों के लाभ के लिए प्रभावी और सार्थक रूप से काम कर सकें।

संसद द्वारा उन पर रखे गए विश्वास को ध्यान में रखते हुए। देश भर में बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में इन निकायों की बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका है।
(iii) राज्य स्तर की बाल संरक्षण समितियों और जिला स्तर की बाल संरक्षण इकाइयों की यह सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जेजे अधिनियम प्रभावी रूप से लागू हो।

कार्यान्वित और बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन और रखरखाव इस तरह से किया जाता है जो पोषण, शिक्षा, चिकित्सा लाभ, कौशल विकास और सामान्य जीवन सहित सभी मामलों में बच्चों की भलाई के लिए अनुकूल हो।
शर्तें। इन दोनों निकायों को अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी

गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की सहायता लें।

(iv) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जे. जे. बी. और सी. डब्ल्यू. सी. में सभी पदों को शीघ्रता से भरा जाए और संपूर्णा बेहुरा v.

भारत और ओआरएस का संघ।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल नियमों या नियमों के अनुसार। पदों को भरने में किसी भी देरी से बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह होना चाहिए

टाल दिया।

(v) जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को यह समझना चाहिए कि नियमित आधार पर बैठकें आयोजित करना आवश्यक है ताकि किसी भी समय कम से कम पूछताछ लंबित रहे और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को कानून और सामाजिक न्याय के साथ संघर्ष करने वाले सभी किशोरों को न्याय दिया जाए।

(vi) एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. को उचित समझे जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर समयबद्ध अध्ययन करना चाहिए।

जेजे अधिनियम के तहत। इन अध्ययनों के आधार पर, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

(vii) एनसीपीसीआर और एस. सी. पी. सी. आर. को एक अध्ययन करना चाहिए।

इस बात पर जोर दिया कि कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण के लिए एक परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। आदर्श नियम और नियम, यदि कोई हो, में अभिनिर्धारित उनके कर्तव्य।

(viii) एम. डब्ल्यू. सी. डी. को इसका रचनात्मक उपयोग जारी रखना चाहिए।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी न केवल डेटा और सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से बल्कि इसके लिए भी अधिनियम से जुड़े अन्य मुद्दे जैसे कि लापता बच्चों, तस्करी किए गए बच्चों का डेटाबेस होना और गोद लेने के मामलों का अनुवर्ती कार्रवाई करना आदि।

(ix) विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना करने और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द जेजे अधिनियम के संदर्भ में नियुक्त करने की आवश्यकता है, न कि केवल कागज पर। यह आवश्यक है।

ऐसी इकाइयों और अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट रूप से पहचान करना और जहां भी आवश्यक हो, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना। उपलब्ध विशेषज्ञता, या तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो या गैर सरकारी संगठनों को बच्चों के लाभ के लिए लिया जाना चाहिए।

(xi) बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि ऐसे सभी संस्थान पंजीकृत हों ताकि बच्चे सम्मानजनक जीवन जी सकें और लापता बच्चों और तस्करी के मुद्दों का भी समाधान किया जा सके। (xii) राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश होंगे -

सभी जिलों में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आगंतुकों के रूप में नियुक्त करने की सलाह दी जाती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन संस्थानों के प्रबंधन और रखरखाव पर ध्यान दिया जाए।

(xiii) राज्य की ओर से प्रभावी प्रतिक्रिया के अभाव में जेजे फंड थोड़ा शर्मनाक है।

सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश। यदि कल्याण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं

बच्चे हम यह सोचकर कांप जाते हैं कि धन का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है।

(xiv) नालसा ने जेजे अधिनियम से संबंधित डेटा और जानकारी एकत्र करने में उल्लेखनीय काम किया है, जैसा कि उसके द्वारा तैयार की गई तीन भाग की रिपोर्ट से पता चलता है। एन. ए. एल. एस. ए. से अनुरोध है कि वह इस कवायद को आगे बढ़ाएं और सभी की सहायता के लिए 30 अप्रैल, 2018 से पहले इसी तरह की रिपोर्ट तैयार करें।

नीति निर्माण और निर्णय लेने वाले अधिकारी अपने मामलों की योजना बनाते हैं।

(xv) सभी प्राधिकरणों जैसे जेजेबी और सीडब्ल्यूसी, परिवीक्षा अधिकारियों, बाल संरक्षण समितियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और बाल देखभाल संस्थानों के प्रबंधकीय कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और उनकी स्थिति के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा इस संबंध में एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया गया है और यह संपूर्णा बेहुरा बनाम है।

भारत और ओआरएस का संघ।

उम्मीद है कि एनसीपीसीआर की सहायता से

एस. सी. पी. सी. आर. इस पहल को आगे बढ़ाएँ ताकि जेजे अधिनियम का सार्थक कार्यान्वयन।

प्रत्येक उच्च न्यायालय की अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखने के लिए अपने राज्य में बच्चों का कल्याण। भागीदारी करने के लिए

और प्रक्रिया अधिक सार्थक, प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अदालत से अपने दम पर कार्यवाही दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है

2015 के अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव

संबंधित को सुनने के बाद सार्थक रूप से संबोधित किया गया सरकारी अधिकारी। [पैरा 95] [986-बी-एच; 987-ए-एच;

988 - ए-एच; 989-ए-एफ]

3. प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि

प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल अदालतें और संवेदनशील गवाह अदालतें स्थापित करने पर गंभीरता से विचार करें। जेजे अधिनियम के तहत पूछताछ और अन्य कानूनों के तहत परीक्षण जैसे कि यौन अपराधों से बाल अधिनियम, 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, दंड के तहत यौन अपराधों के लिए परीक्षण

संहिता और इसी तरह के अन्य कानूनों को पीड़ित के प्रति उच्च स्तर की संवेदनशीलता, देखभाल और सहानुभूति के साथ संचालित करने की आवश्यकता होती है। [पैरा 96] [989-एफ-जी]

शीला बारसे द्वितीय बनाम। भारत संघ (1986) 3 एससीसी 632;

2 पूरक। एस. सी. आर. 643; अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय v. की स्थिति पंजाब और राष्ट्रीय संरक्षण आयोग

2013 ; नैसुल खातून बनाम। असम राज्य और अन्य। 2011 क्राई। एलजे 326 2010 एससीसी ओनलुइन गौ 225; द मैटर ऑफ

सनत कुमार सिन्हा (मुख्य समन्वयक), बाल का पत्र सखा वी. मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य,

सरकार. बिहार और ओआरएस। मनु/बी. एच./0384/2008-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1986) 3 एस. सी. सी. 632

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1988] 2 पूरक। एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

2011 क्रि एल. जे. 326: 2010 एससीसी

पैरा 70

8] 2 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

473 2005 का

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

कॉलिन गोंजाल्विस, सीनियर एड. , सुश्री स्नेहा मुखर्जी, सुश्री ज्योति मेंदिरत्ता, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

वसीम ए. कादरी, आर. के. राठौर, सुश्री सुनीता शर्मा, सुश्री गुणवंत दारा, ए. ए. राज, बी. वी. बलराम दास, जी. एस. मक्कर, राज बहादुर, शैलेंद्र सैनी, सईद कादरी, विकास बंसल, गगन गुप्ता, सौरभ गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मदन बी. लोकुर, जे. 1. यदि राज्य अपने मौलिक या मानवीय या वैधानिक अधिकार पर कोई ध्यान नहीं देता है, और न ही अपने संवैधानिक या वैधानिक अधिकार को पूरा करने में गंभीर रुचि लेता है, तो कोई नागरिक क्या कर सकता है?

दायित्व? क्या होगा यदि वह नागरिक एक आवाजहीन बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज शासन के शोर पर नहीं सुनी जा सकती है-उदाहरण के लिए, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक और समाज के अन्य वंचित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, आदिवासी और कई अन्य? पीड़ित शायद न्यायपालिका से संपर्क करेगा (यदि वह कर सकता है और एक अंतिम उपाय के रूप में) एक मानव के प्रवर्तन के लिए

सही है। क्या न्यायपालिका को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए और उस पर 'न्यायिक सक्रियता' या अतिक्रमण का आरोप लगाया जाना चाहिए-या क्या सनकी और संदेहियों के लिए अपना दिन होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप बेजुबान और वंचित लोगों की शिकायतें सुनी नहीं जानी चाहिए और मौलिक और मानवाधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए?

2. ये सवाल आभासी रूप से लागू न करने या बेजुबानों के लिए फायदेमंद कानूनों के सुस्त कार्यान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न होते हैं।

(विशेष रूप से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम)। हम एक जनहित याचिका के माध्यम से इनमें से कुछ मुद्दों को उजागर करने में संपूर्ण बेहुरा के प्रयासों के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं और उपस्थित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सहायता प्रदान करने के लिए हमें इन कार्यवाही को प्रतिकूल नहीं बनाकर इनमें से कुछ मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम बनाने के लिए, लेकिन लाभ के लिए एक रचनात्मक प्रयास के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं।

हमारे देश के बच्चे। किसी को कोई संदेह नहीं है कि यह राज्य के लिए दृढ़ता से और सक्रिय रूप से स्वीकार करने का समय है कि हमारे संपूर्ण बेहुरा बनाम में बच्चे भी।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

देश में मौलिक अधिकार और मानवाधिकार हैं और उन्हें समान रूप से दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है।

3. यदि नेल्सन मंडेलाकेँ मानल जाय, "हमर बच्चासभ हमर सभसँ पैघ खजाना छथि। वे हमारा भविष्य हैं। जो लोग उनका दुरुपयोग करते हैं वे हमारे समाज के ताने-बाने को फाड़ देते हैं और हमारे राष्ट्र को कमजोर करते हैं। 1 हमारी नीति और निर्णय निर्माताओं को इस सलाह और चेतावनी पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यह समझने की आवश्यकता है कि वे हमारे देश के बच्चों की देखभाल करके उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं-यह उनका संवैधानिक दायित्व है और संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक न्याय कानूनों को प्रभावी ढंग से और सार्थक रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन

4. बाल अधिकारों की दूरदर्शी समझ में, मुख्य न्यायाधीश

2006 में आयोजित सम्मेलन (प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में) निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया थाः

ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश मामले में तेजी लाएंगे। किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ, जहां वे अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं।

ग) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश जहां कहीं भी स्थापित किशोर गृहों का समय-समय पर दौरा करने के लिए एक न्यायाधीश को नामित करेंगे, और विद्वान न्यायाधीश किशोर गृहों और कैदियों की स्थितियों में सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दे सकते हैं।

5. उपरोक्त प्रस्ताव 2000 के अधिनियम के लागू होने के लगभग छह साल बाद पारित किया गया था- जिसका अर्थ है कि लगभग छह साल भी संसद द्वारा बच्चों के लाभ के लिए एक कानून बनाए जाने के बाद, राज्य सरकारों ने कानून की एक बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए थे, अर्थात किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना के लिए।

6. 2009 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में प्रगति पर चर्चा की गई।

किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना की गई और प्रस्ताव पारित किया गया

1 22 नवंबर 1997 को राष्ट्रीय पुरुष मार्च, प्रिटोरिया में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेल का संबोधन [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2006 में सम्मेलन में दोहराया गया था कि किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना में राज्य सरकारों द्वारा अभी भी बहुत कम या कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए, लगभग एक दशक संसद द्वारा निर्धारित बुनियादी वैधानिक दायित्व के राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन के बिना बीत गया था।

7. 2013 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने के मुद्दे पर फिर से चर्चा की गई और 2006 और 2009 में पारित प्रस्तावों को दोहराया गया। इसके अलावा, सभी जिलों में बाल कल्याण समितियों की स्थापना के आदेश पर भी जोर दिया गया ताकि देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और 2000 के अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जा सके। यह आगे हल किया गया थाः

यह देखा गया कि राज्य सरकारों ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में निर्दिष्ट विभिन्न गृहों की स्थापना और स्थापना के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए हैं, जैसा कि 2006 में संशोधित किया गया था और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007। यह देखा गया कि रिमांड/ऑब्जर्वेशन होम्स और शेल्टर होम्स में स्थितियां मानक के अनुरूप नहीं हैं और उपरोक्त अधिनियम और नियमों के तहत परिकल्पित इन सुविधाओं को सार्थक बनाने के लिए बहुत सुधार की आवश्यकता है। यह भी देखा गया कि वयस्कता में जाने वाले किशोरों और विशेष रूप से लड़कियों के लिए देखभाल के बाद के गृहों को संबंधित अधिकारियों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश उपरोक्त अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट विभिन्न गृहों की स्थितियों में सुधार के लिए और उक्त प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए स्थायी कर्मचारियों का प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाएंगे, जैसा कि कुछ मुख्य न्यायाधीशों ने बताया था कि गृहों के कई कर्मचारियों के पास था। पंद्रह साल तक भी तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीशों से इस मामले को संभालने का अनुरोध किया गया था-संपूर्णा बेहुरा बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

[मदन बी. लोकुर, जे.]

राज्य प्राधिकरणों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति, जो तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं, की सेवाओं को, यदि आवश्यक हो, पदों का निर्माण करके नियमित किया जाए।

इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया गया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधान अभी तक जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किए गए थे।

8. 2015 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने के मुद्दे पर फिर से चर्चा की गई और

प्रस्ताव पारित किया गयाः

" यह संकल्प लिया गया कि उच्च न्यायालय किशोर न्याय के क्षेत्र में मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के तरीकों को विकसित करने सहित सभी आवश्यक कदम उठाते रहेंगे।

उनके संबंधित राज्य। उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण का गठन किया जाए

समितियाँ हैं कि किशोर गृहों, विशेष गृहों, अवलोकन गृहों, आश्रय गृहों और बचाव केंद्रों आदि का नियमित रूप से दौरा किया जाए और ऐसे गृहों की स्थापना की जाए।

जहाँ उन्हें पहले से स्थापित नहीं किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे सभी घरों में मानकों, नियमों, नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। केंद्र। इस संबंध में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों की सहायता भी ली जाएगी।

9. अंत में, 2016 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में निम्नलिखित

यह पारित किया गयाः

" सम्मेलन ने कानून के टकराव में किशोरों और जरूरतमंद बच्चों के लिए संस्थागत सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है।

देखभाल और संरक्षण।

हल किया किः

(i) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लंबित मामलों का जे. जे. बी. द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए।

(ii) उच्च न्यायालयों की किशोर न्याय समितियाँ गोद लेने के मामलों और बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने के लिए आवेदनों के लंबित होने और निपटारे की निगरानी करेंगी; [2018] 2 एस. सी. आर.

((ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, अवलोकन गृह और बाल गृह हों।

((iv) अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण के लंबित मामले।

उच्च न्यायालयों की किशोर न्याय समितियों द्वारा बच्चों की निगरानी की जानी चाहिए।

(v) न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाए। (किशोर न्याय संस्थानों में रिक्तियों को तीन महीने में मिशन मोड के आधार पर भरा जाए; और

(vii) राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए।

उनकी भूमिका "।

10. इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय ने बच्चों से संबंधित मुद्दों का जायजा लेने और उन पर गौर करने के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक किशोर न्याय समिति का गठन किया है। हम ध्यान दें कि प्रत्येक उच्च न्यायालय ने सकारात्मक से अधिक प्रतिक्रिया दी है और प्रत्येक किशोर न्याय समिति ने कुछ सुधार किए हैं घरों में रहने की स्थिति में और कई बच्चों के कल्याण और जीवन में।

11. इस बात की सराहना करते हुए कि न्यायपालिका का यह सुनिश्चित करने का संवैधानिक दायित्व है कि हर कोई बच्चे के सर्वोत्तम हित में काम करे, प्रमुख ने कहा भारत के न्यायाधीश ने 2000 के अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक समिति का गठन किया-यह न्यायपालिका द्वारा बच्चों के अधिकारों को दिया गया महत्व है।

12. पिछले लगभग एक दशक से न्यायपालिका, न्यायिक 'सक्रियता' और इसकी आलोचना के बावजूद, राज्य सरकारें और

केंद्र शासित प्रदेशों ने बच्चों के लाभ के लिए संसद द्वारा गंभीरता से बनाए गए कानून के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। कई उदाहरणों में, जमीनी स्तर पर केवल कॉस्मेटिक परिवर्तन पेश किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप बेजुबान बच्चे आधिकारिक उदासीनता के विषय बने हुए हैं। हालाँकि, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारत संघ ने महिला और बाल विकास मंत्रालय (संक्षेप में एम. डब्ल्यू. सी. डी.) के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें कुछ महत्व देने के लिए कुछ साहसिक कदम उठाए हैं। फिर भी, बच्चों के अधिकारों और उनके अधिकारों की मान्यता से संबंधित समग्र तस्वीर एहसास संतोषजनक नहीं है और उदास रहता है क्योंकि हम लंबे और घुमावदार रास्ते पर चलते रहते हैं।

संपूर्णा बेहुरा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

जनहित में याचिका लिखें 13. हमारे सामने याचिकाकर्ता संपूर्ण बेहुरा ने समाजशास्त्र में परास्नातक किया है और प्रासंगिक समय में उसी विषय में डॉक्टरेट थीसिस कर रही थी। वह बाल यौन शोषण, सड़क पर रहने वाले बच्चों और कामकाजी बच्चों के मामलों को संभालने में शामिल रही हैं और उन्होंने बाल अधिकारों पर विभिन्न अध्ययन भी किए हैं।

14. देश में बच्चों की दुर्दशा से चिंतित, संपूर्ण

बेहुरा ने संविधान के कई अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जो प्राथमिक प्रावधान लागू करते हैं।

यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जाए और उनके बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। उनके द्वारा निर्दिष्ट संविधान के अनुच्छेदों में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों पर अध्याय शामिल हैं। उन्होंने 20 नवंबर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए बाल अधिकारों पर समझौते की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। कन्वेंशन, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने पर जोर देता है।

बाल पीड़ितों आदि का सामाजिक एकीकरण।

15. उन्होंने रिट याचिका में यह भी कहा है कि 2000 का अधिनियम संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 1985 (बीजिंग नियम), उनकी स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम, 1990 और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय

उपकरण। 16. रिट याचिका का मुख्य बोझ 2000 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकारों की विफलता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल कल्याण समितियों, किशोरों की स्थापना शामिल है।

न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त गृहों की स्थापना, कानून के साथ संघर्ष में किशोरों की जीवन स्थितियों में सुधार, बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाएं राज्य की अभिरक्षा में और कई अन्य मानवाधिकार मुद्दों पर। इन व्यापक तथ्यों और कथनों के आधार पर ही जनहित में राहत की प्रार्थना की गई थी।

17. रिट याचिका ने विभिन्न राज्यों में 2004-2005 में किए गए सर्वेक्षणों और शोधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है

उनके लिए उनके महत्व और महत्व के बावजूद, किसी भी महान विवरण में, क्योंकि वे समय बीतने के साथ तत्काल प्रासंगिकता खो चुके होंगे।

8] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. एक प्रार्थना यह भी है कि सभी उत्तरदाता राज्यों को पौष्टिक भोजन, उचित और स्वच्छ जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया जाए विभिन्न गृहों में किशोरों के लिए आवास, शैक्षिक सुविधाएं, मनोरंजन सुविधाएं और पुनर्वास केंद्र और प्रत्येक जिले के कलेक्टरों को इस न्यायालय के आदेशों को लागू करने में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने का निर्देश देना।

20. 2000 के अधिनियम को तब से निरस्त कर दिया गया है और जो अब लागू है वह जेजे अधिनियम है। 2000 के अधिनियम को निरस्त करने से जनहित में दावा की गई राहतों की राशि और सार में कोई बदलाव नहीं होता है। मुकदमेबाजी। हालाँकि यह याचिका बहुत पहले 2005 में दायर की गई थी, लेकिन यह निष्फल नहीं है, उठाए गए मुद्दे आज भी बहुत सामयिक और जीवित हैं।

इस न्यायालय में कार्यवाही

कि रिट याचिका में प्रार्थना 2000 के अधिनियम को उसके सही अर्थ में तुरंत लागू करने के लिए थी और याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधान जो कई साल बीत जाने के बावजूद लागू नहीं किए गए थे। यह नोट किया गया कि रिट याचिका बच्चों के लिए कुछ घरों में भयानक परिस्थितियों को उजागर करती है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था। इन परिस्थितियों में, न्यायालय को प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से प्रत्यर्थी राज्यों द्वारा विस्तृत हलफनामे दायर करने की आवश्यकता थी।

22. 3 जनवरी, 2007 के आदेश में शीला बारसे द्वितीय बनाम का उल्लेख किया गया था। भारत संघ 2 जो परित्यक्त या परित्यक्त मामलों से भी निपटता है। "सुरक्षित अभिरक्षा" के लिए देश भर की विभिन्न जेलों में बंद निराश्रित बच्चे। उस निर्णय में यह उल्लेख किया गया था कि बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित प्रस्तावना शामिल थीः

" राष्ट्र के बच्चे एक सर्वोच्च महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उनका पालन-पोषण और लगन हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों का।

2 (1986) 3 एस. सी. सी. 632 सम्पूर्णा बेहुरा बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

मानव संसाधन के विकास के लिए, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर मजबूत नागरिक बन सकें, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और नैतिक रूप से स्वस्थ, समाज द्वारा आवश्यक कौशल और प्रेरणाओं से संपन्न हों। सभी बच्चों के विकास के लिए समान अवसर विकास की अवधि के दौरान हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इससे असमानता को कम करने और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के हमारे बड़े उद्देश्य की पूर्ति होगी

न्याय "।

23. न्यायालय ने उस निर्णय में उल्लेख किया कि यदि कोई बच्चा राष्ट्रीय संपत्ति है (राष्ट्रीय नीति के अनुसार), तो यह राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बच्चे की देखभाल करे और इसलिए बच्चों से संबंधित कानूनों में प्रावधान है कि एक बच्चे को जेल में नहीं रखा जाएगा। यह निर्देश दिया गया कि किसी भी अवसर पर बच्चों को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और यदि किसी राज्य सरकार के रिमांड होम या बच्चों के लिए ऑब्जर्वेशन होम में पर्याप्त आवास नहीं है, तो उन्हें जेल में कैद करने के बजाय जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

24. इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रत्येक जिले में किशोर न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए और मजिस्ट्रेटों का एक विशेष संवर्ग होना चाहिए जो

बच्चों के खिलाफ मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित हैं। कुछ अन्य निर्देश भी जारी किए गए थे लेकिन वे बाल अधिनियम से उत्पन्न होते हैं और वर्तमान में प्रासंगिक नहीं हैं। शीला बारसे बनाम के क्रम में भी संदर्भ दिया गया था। भारत संघ 3 जिसमें इस न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट अपने निर्णय को दोहराया।

25. यह उल्लेख किया गया कि किशोर न्याय बोर्ड (संक्षेप में 'जेजेबी') और बाल कल्याण समितियां (संक्षेप में 'सीडब्ल्यूसी')

2000 बहुत कम जिलों में इसका गठन किया गया है। यह भी ध्यान दिया गया कि कुछ अवलोकन गृह वर्दीधारी या सशस्त्र पुलिस वाली जेलों की तरह हैं।

26. कुछ बाद की सुनवाई और दलीलों के पूरा होने के बाद,

न्यायालय ने 14 फरवरी, 2011 के एक आदेश द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन. सी. पी. सी. आर.) और 11 जुलाई, 2011 के एक आदेश द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (संक्षेप में 'एन. ए. एल. एस. ए.') को दोषी ठहराया। 19 अगस्त, 2011 को हुई सुनवाई में एनएएलएसए द्वारा बाल अधिकारों के संबंध में काफी सुझाव दिए गए थे। हम इन प्रस्तुतियों पर उचित स्तर पर विचार करेंगे।

27. सुनवाई के दौरान, अदालत ने भ्रम पर अफसोस जताया

और संख्या से संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्येक जिले में कानून के साथ संघर्ष में किशोरों का विवरण और ऐसे बच्चों का विवरण। इससे कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रभावी योजना बनाना मुश्किल हो गया या

उपयुक्त घर उपलब्ध कराना। इसलिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को डेटा एकत्र करने की आवश्यकता थी और एनएएलएसए को आगे के निर्देश जारी करने के लिए न्यायालय को डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि सी. डब्ल्यू. सी. और जे. जे. बी. हर जिले में कार्यात्मक या गठित नहीं हैं। तदनुसार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण थे

2000 के अधिनियम के अनुसार सी. डब्ल्यू. सी. और जे. जे. बी. की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार में उपयुक्त विभाग के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया गया।

28. 19 अगस्त, 2011 के आदेश के अनुसार एक विस्तृत और

एनएएलएसए द्वारा 2000 के अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा सुविधाओं पर तीन भागों में उत्कृष्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें रिपोर्टिंग का महीना और वर्ष अगस्त 2011 था।

29. जब 12 अक्टूबर, 2011 को फिर से मामले की सुनवाई की गई तो

न्यायालय ने 19 अगस्त, 2011 को पारित निर्देशों के महत्व को दोहराया और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना पर भी ध्यान केंद्रित किया

ध्यान दें।

2000 के अधिनियम की धारा 63 के तहत। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक पुलिस अधिकारी हो जिसमें आवश्यक योग्यता हो और उसे किशोर या किशोर के रूप में कार्य करने के लिए उचित प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाए। बाल कल्याण अधिकारी। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और एनएएलएसए से अनुरोध किया गया था कि वे ऐसे अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक प्रशिक्षण और अभिविन्यास प्रदान करें।

30. गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक

2000 के अधिनियम की धारा 63 की उप-धारा (3) के अनुसार कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के उपचार में समन्वय और उन्नयन के लिए प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।

31. जब 11 तारीख को मामले पर विचार किया गया

इस न्यायालय की सामाजिक न्याय पीठ ने सितंबर, 2015 में यह देखा कि भारत संघ ने 31 जुलाई, 2015 और 9 सितंबर, 2015 को शपथ पत्र दायर किए थे। इन शपथपत्रों को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत बड़ी संख्या में गृह पंजीकृत नहीं थे। चूंकि यह चिंता का विषय

था (बच्चों की तस्करी की संभावना के साथ), इसलिए विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संपूर्णा बेहुरा बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

भारत संघ के लिए इस मामले को देखने का अनुरोध किया गया था और उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारत संघ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गृह कुछ महीनों के समय में 2000 के अधिनियम के तहत पंजीकृत हों।

32. इसके तुरंत बाद, जेजे अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 15 जनवरी, 2016 को लागू किया गया। जेजे अधिनियम ने किशोर न्याय व्यवस्था में कई बदलाव लाए लेकिन संपूर्ण बेहुरा द्वारा दायर याचिका का आधार अप्रभावित रहा। 33. उनकी जनहित याचिका 15 फरवरी, 2016 को उपरोक्त पृष्ठभूमि में और पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और जाने के बाद ली गई थी।

इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के माध्यम से, निम्नलिखित मुद्दों की पहचान गंभीर विचार और विचार-विमर्श की आवश्यकता के रूप में की गई थीः

1. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी का गठन।

बाल संरक्षण के लिए राज्य आयोगों का गठन

2 .

अधिकार।

प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) की स्थापना

3 .

(यदि आवश्यक हो तो कुछ जिलों में एक से अधिक) और उनका प्रशिक्षण।

4 .

बाल कल्याण समितियों (सी. डब्ल्यू. सी.) की स्थापना और उनकी

प्रशिक्षण।

परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण।

5 .

प्रत्येक पुलिस में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना

6 .

स्टेशन, उनका प्रशिक्षण और पुलिस प्रशिक्षण नियमावली को अद्यतन करना।

कानूनी सहायता वकीलों और उनके प्रशिक्षण के लिए प्रावधान।

7 .

जेजेबीएस और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का उचित चयन।

8 .

9. जे. जे. बी. और सी. डब्ल्यू. सी. की श्रमशक्ति आवश्यकताओं का आकलन और

रिक्तियों को भरना।

11. सामाजिक जाँच रिपोर्ट का महत्व। 12. प्रधान मजिस्ट्रेटों को विशेष रूप से किशोर न्याय से निपटना चाहिए

पूछताछ करते हैं।

13. बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल में जीवन स्थितियों में सुधार

संस्थाएं।

15. किशोर न्याय कोष की स्थापना।

34. इसके बाद, मामले को 9 मई, 2016 को उठाया गया जब विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि

एम. डब्ल्यू. सी. डी. में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने और अद्यतन करने का काम चल रहा था और यह तेजी से आगे बढ़ रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि यह बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न पदों जैसे जे. जे. बी. और सी. डब्ल्यू. सी. के सदस्यों के नाम एम. डब्ल्यू. सी. डी. की वेबसाइट पर रखे जाएंगे ताकि जब भी आवश्यक हो, उनसे संपर्क करना आसान हो।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता की आवश्यकता थी। तदनुसार इस न्यायालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना को अद्यतन करने और समय-समय पर अद्यतन रखने के लिए भारत संघ को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।

35. जहाँ तक एन. ए. एल. एस. ए. का संबंध है, उसने अभिलेख में एक प्रति प्रस्तुत की है।

कानूनी सेवा वकीलों और परिवीक्षा के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल लेकिन एन. ए. एल. एस. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि चूंकि मॉड्यूल किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के आधार पर तैयार किए गए थे, इसलिए एन. ए. एल. एस. ए. उनकी प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए कुछ प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा और बाद में उन्हें बनाए जाने वाले नए नियमों के अनुरूप लाएगा।

जेजे अधिनियम के तहत।

37. इस मामले को 17 फरवरी, 2017 को फिर से उठाया गया था, जिस समय तक एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने इस मामले में काफी प्रगति कर ली थी। केंद्रीय स्तर तक जानकारी का ऑनलाइन संग्रह

निगरानी प्रारूप तैयार किया गया था जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए आसानी से भरा जा सकता था जिसे एकत्र किया जा सकता था।

38. हमने एकत्रित जानकारी के अलावा यह भी आवश्यक किया कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस. सी. पी. सी. आर.) को

प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हो। यह उल्लेख किया जा सकता है कि संपूर्णा बेहुरा बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

एस. सी. पी. सी. आर. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत गठित एक निकाय है, जिसके विभिन्न कार्य उक्त अधिनियम की धारा 13 में विस्तृत हैं।

एस. सी. पी. सी. आर. और इस मामले के समग्र दृष्टिकोण से यह पाया गया कि बड़ी संख्या में रिक्तियां मौजूद थीं और कुछ राज्य सरकारों द्वारा उन्हें भरने या बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में कोई तात्कालिकता दिखाने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं किया जा रहा था। 40. इसके बाद, 15 नवंबर, 2017 को हमने एम. डब्ल्यू. सी. डी. से कहा कि वह हमें किशोर न्याय कोष में जमा राशि के बारे में सूचित करे।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।

41. इन सभी जानकारी के साथ किसी न किसी रूप में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है या

दूसरा, हमने 20 नवंबर, 2017 को पक्षों के लिए विद्वान वकील की दलीलें सुनीं और निर्णय सुरक्षित रखा। 42. हम उस समय से इस मामले में हुई कुछ अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही के संबंध में विस्तार से गए हैं।

जब जनहित याचिका की स्थापना केवल बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं के विभिन्न आयामों और बच्चों के अधिकारों के प्रति अधिकांश राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनौपचारिक दृष्टिकोण को उजागर करने के लिए की गई थी। यह भूलना आसान है कि बच्चे भी सम्मानजनक व्यवहार के हकदार हैं और केवल इसलिए कि राज्य के मामलों में उनकी कोई आवाज नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे समाज के महत्वहीन सदस्य हैं जिन्हें ऐसी स्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो असहज हैं (कम से कम कहने के लिए) और जिनके पास न्याय तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है।

एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा दायर हलफनामे

43. मामले की प्रगति के दौरान, एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने कुछ स्थिति रिपोर्ट और हलफनामे दायर किए।

44. 31 जुलाई, 2015 को दायर एक हलफनामे में एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा लागू की जा रही एक ऑनलाइन केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली की स्थिति थी

इंगित किया। संक्षेप में, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रारूपों तक पहुंचने, डेटा प्रदान करने और एम. डब्ल्यू. सी. डी. को रिपोर्ट जमा करने के लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। बहुत व्यापक रूप से, रिपोर्टों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में घर और बच्चे, खुले आश्रय, विशेष गोद लेने वाली एजेंसियां, गैर-संस्थागत देखभाल, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड और सेवा वितरण संरचनाएं शामिल हैं। यह एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है और [2018] 2 एस. सी. आर. के लिए एक बड़ा प्रयास है।

जानकारी एकत्र करें ताकि जेजे अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और योजना प्रक्रिया तदर्थ के बजाय अधिक संरचित हो सके।

45. एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने 8 सितंबर, 2015 को एक और हलफनामा दायर किया, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर में जानकारी दर्ज करने की आवश्यकताओं का पालन करने का अनुरोध किया गया था। शपथ पत्र में अनुपालन की सीमा के बारे में संकेत दिया गया था। 2014-15 अवधि के लिए यह कहा गया था कि जबकि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवश्यक प्रावधान किए थे

जानकारी के अनुसार, 7 राज्य पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहे थे। 2015-16 अवधि के लिए अधिकांश राज्यों ने आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की। असम, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा ने ऐसा किया।

46. एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने 4 दिसंबर, 2015 को बाल देखभाल संस्थानों और उनके पंजीकरण के साथ-साथ बाल देखभाल संस्थानों का विवरण देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दायर की।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवीक्षा अधिकारियों की उपलब्धता।

दुर्भाग्य से, हलफनामे के अनुसार स्थिति इस मायने में काफी असंतोषजनक थी कि कई बाल देखभाल संस्थान पंजीकृत नहीं किए गए थे और परिवीक्षा अधिकारियों की गंभीर कमी थी। 12 फरवरी, 2016 के एक और हलफनामे में एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने कहा कि बाल देखभाल संस्थानों के पंजीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इसने योजनाओं में एक परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका का भी संकेत दिया है।

47. 29 मार्च, 2016 को एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा दायर एक अन्य हलफनामे में 15 मुद्दों के संबंध में एक तथ्यात्मक प्रतिक्रिया दी गई थी।

इस न्यायालय ने 15 फरवरी, 2015 को

48. एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने 3 मई, 2016 को अपनी अंतिम स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय स्तर पर जानकारी के लिए कुछ प्रारूप दिए गए हैं।

इसके द्वारा पहचाने गए 15 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निगरानी प्रणाली जोड़ी गई थी।

अदालत। 49. 11 जनवरी, 2017 के हलफनामे में एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा यह खुलासा किया गया था कि कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग

किशोर न्याय के मुद्दे काफी खराब स्थिति में थे। वास्तव में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एम. डब्ल्यू. सी. डी. को इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

50. एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा दायर अंतिम हलफनामे में यह खुलासा किया गया था कि 26 सितंबर, 2017 को एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है

शपथपत्र के पढ़ने से कि संपूर्णा बेहुरा बनाम में काफी सुधार हुआ है।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

प्रतिभागी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दुर्भाग्य से, राष्ट्रीय परामर्श के कार्यवृत्त को अभिलेख में नहीं रखा गया है। एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा प्रदान की गई जानकारी और डेटा

51. जहाँ तक एन. ए. एल. एस. ए. का संबंध है, इसने एक उल्लेखनीय अध्ययन किया था और संबंधित मुद्दों पर तीन भाग वाली रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा था।

2000 के अधिनियम के तहत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियाँ और गृह। भले ही एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें बेहद उपयोगी हैं, क्योंकि वे अब काफी पुरानी हैं (अगस्त 2011 तक के आंकड़ों के साथ) उन्हें किसी भी विस्तार से संदर्भित नहीं किया जा रहा है। 52. एनएएलएसए ने 20 जुलाई, 2015 को एक और रिपोर्ट दी जिसमें यह बताया गया कि जेजेबी के समक्ष बड़ी संख्या में पूछताछ लंबित हैं। यह बताया गया कि अकेले उत्तर प्रदेश में 34,569 पूछताछ लंबित हैं और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1883 पूछताछ जेजेबी के समक्ष लंबित हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि कई जेजेबी नियमित रूप से नहीं बैठते थे और कुछ की बैठक शायद सप्ताह में एक या दो बार होती थी। यह भी बताया गया कि कुछ स्थानों पर अवलोकन गृह और जेजेबी के बीच की दूरी काफी थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि परिवीक्षा अधिकारियों की आवश्यकता है जो विशेष रूप से किशोर न्याय के मुद्दों से निपटेंगे।

53. इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि मई 2016 में एनएएलएसए द्वारा परिवीक्षा अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल लाया गया था। यह प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग तब से एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा किया गया है और हमें यह समझने के लिए दिया गया है कि यह एक प्रशिक्षण गाइड के रूप में बेहद उपयोगी और फायदेमंद पाया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ

54. अपनी ओर से, याचिकाकर्ता ने बड़ी संख्या में ऐसे कदम उठाए हैं जो बाल देखभाल में बच्चों के जीवन में सुधार के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है संस्थान और उन्हें गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाना। सुझाव भी थे

याचिकाकर्ता द्वारा 10 और 25 सितंबर, 2013 और 10 मई, 2016 को बाल अधिकारों और किशोर न्याय के कई पहलुओं पर दिया गया। इनमें से अधिकांश सुझाव एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा दिए गए सुझावों के पूरक हैं।

चर्चा, सुझाव और सिफारिशें (i) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग

55. संसद द्वारा अधिनियमित बाल संबंधी कानूनों में [2018] 2 एस. सी. आर. के संबंध में दो अत्यंत महत्वपूर्ण नीति और निर्णय लेने वाली संस्थाओं का प्रावधान है।

बच्चों और बाल अधिकारों, अर्थात् एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर.। इसी तरह, जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जमीनी या जमीनी स्तर पर दो अत्यंत महत्वपूर्ण निकायों का प्रावधान किया गया है, अर्थात् राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई। हमारी राय में, यदि ये संस्थान और निकाय संबंधित राज्य सरकार और भारत सरकार की देखरेख और मार्गदर्शन में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो बाल अधिकारों की मान्यता और प्रवर्तन वास्तव में हमारे देश में एक वास्तविकता बन सकता है।

देश।

56. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एन. सी. पी. सी. आर. के रूप में जाने जाने वाले निकाय का गठन करने और राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर एस. सी. पी. सी. आर. के रूप में जाने जाने वाले निकाय का गठन करने का प्रावधान है। एन. सी. पी. सी. आर. की संरचना क़ानून की धारा 3 में प्रदान की गई है जबकि एस. सी. पी. सी. आर. की एक समान संरचना क़ानून की धारा 17 में प्रदान की गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 3 इस प्रकार हैः

" 3. राष्ट्रीय संरक्षण आयोग का गठन

बाल अधिकार। (1) केंद्र सरकार, द्वारा

अधिसूचना, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रूप में जाने जाने वाले एक निकाय का गठन करती है

उसे प्रदत्त किया जाता है, और उसके अधीन सौंपे गए कार्यों का पालन करना

यह अधिनियम।

अर्थात्ः

(क) एक अध्यक्ष जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और जिसने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है; और

(ख) छह सदस्य, जिनमें से कम से कम दो महिलाएँ निम्नलिखित क्षेत्रों से होंगी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, क्षमता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा।

((ख) बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास।
((ग) किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिए पर पड़े बच्चों या विकलांग बच्चों की देखभाल; संपूर्णा बेहुरा v.

((vi) बच्चों से संबंधित कानून। (3) आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा।

57. यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर एन. सी. पी. सी. आर. एक ऐसा संस्थान है जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और विशेषज्ञ शामिल हैं

मैदान। इस प्रकार, उनसे प्रत्येक एस. सी. पी. सी. आर. और अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बच्चों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को देखने की उम्मीद की जाती है। राज्य स्तर पर, एस. सी. पी. सी. आर. एक समान रूप से महत्वपूर्ण निकाय है जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और विशेषज्ञ शामिल हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने राज्य में बच्चों के लाभ के लिए नीतिगत निर्णय लें, चाहे बच्चे मूल रूप से किसी भी राज्य के हों, क्योंकि एक राज्य के ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है लेकिन दूसरे राज्य के बाल देखभाल संस्थान में। 58. एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. के कार्य कमोबेश समान हैं, सिवाय इसके कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यों को करता है, जबकि दूसरा राज्य स्तर पर इन कार्यों को करता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 एन. सी. पी. सी. आर. के कार्यों का विवरण देती है और यह निम्नानुसार हैः

" 13. आयोग के कार्य। — (1) आयोग करेगा

निम्नलिखित सभी या किसी भी कार्य को पूरा करना, अर्थात्ः

(ए) द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करें।

बालकक सुरक्षाक लेल वर्तमानमे लागू कोनो कानून

अधिकार और उनके प्रभावी उपायों की सिफारिश करना कार्यान्वयन;

(ख) केंद्र सरकार के समक्ष, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य अंतरालों पर, जो आयोग उचित समझे, प्रस्तुत करता है।

उन सुरक्षा उपायों का काम करना;

आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, यातना और शोषण, पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चे और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें; [2018] 2 एस. सी. आर.

(ई) संकटग्रस्त बच्चों, हाशिए पर पड़े और वंचित बच्चों, कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों, किशोरों, परिवार के बिना बच्चों और कैदियों के बच्चों सहित विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों पर ध्यान दें और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें।

(च) संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करना और मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य की आवधिक समीक्षा करना।

बाल अधिकारों पर गतिविधियाँ और बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना; (छ) बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।

(ज) विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना।

(i) केंद्र सरकार या किसी राज्य के नियंत्रण में किसी किशोर अभिरक्षा गृह, या बच्चों के लिए किसी अन्य निवास स्थान या संस्थान का निरीक्षण या निरीक्षण कराना। सरकार या कोई अन्य प्राधिकरण, जिसमें एक सामाजिक संगठन द्वारा संचालित कोई भी संस्थान शामिल है; जहां बच्चों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाता है या रखा जाता है और यदि आवश्यक पाया जाता है तो उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इन अधिकारियों के साथ ले जाता है;

(जे) शिकायतों की जांच करना और संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना, ((i) बाल अधिकारों से वंचित करना और उनका उल्लंघन करना।

((iii) नीतिगत निर्णयों, दिशा-निर्देशों या निर्देशों का पालन न करना। बच्चों की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने और ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से,

या ऐसे मामलों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उपयुक्त अधिकारियों के साथ उठाया जाए; और (के) ऐसे अन्य कार्य जो इसके लिए आवश्यक समझते हैं

बाल अधिकारों को बढ़ावा देना और उपरोक्त कार्यों से संबंधित कोई अन्य मामला।

(2) आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है जो उस समय लागू किसी कानून के तहत विधिवत गठित किया गया है।

59. उपरोक्त से यह देखा जाएगा कि एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. दोनों के पास करने के लिए कई प्रकार के कार्य हैं और प्रत्येक एक है।

उनमें से एक बड़ी जिम्मेदारी शामिल है। हमें यह समझने के लिए दिया गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों इन निकायों को व्यापक नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दे रही हैं और वास्तव में कुछ मामलों में, विशेष रूप से एस. सी. पी. सी. आर. से संबंधित, कई महीनों से रिक्तियों को नहीं भरा गया है। वास्तव में, एन. सी. पी. सी. आर. को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को आई. डी. 1 के सदस्यों की रिक्तियों को भरने का आदेश दिया गया था। दुर्भाग्य से, एक समय पर, एन. सी. पी. सी. आर. के अध्यक्ष का पद भी कई महीनों से खाली पड़ा था, जब तक कि इस न्यायालय के निर्देश पर, इस पद को अंततः नहीं भरा गया। हमें शायद ही यह कहने की आवश्यकता है कि जब तक भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. को उचित महत्व नहीं दिया जाता है और रिक्तियों को समय पर भरा नहीं जाता है, तब तक बच्चों के अधिकारों का प्रवर्तन अधर में रहेगा और भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई कोई भी कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं होंगी या उनका कार्यान्वयन अस्पष्ट और प्रतीकात्मक रहेगा।

60. हम आशा और विश्वास करते हैं कि जो अधिकार और शक्ति में हैं

61. इन दोनों निकायों में किसे नियुक्त किया जाना चाहिए, इस बारे में किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के अभाव में राज्य सरकारों ने पाया है कि केवल सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करके और उन्हें छोड़कर बाहर निकलने का आसान तरीका

4 अपने स्वयं के प्रस्ताव पर न्यायालय v. पंजाब राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन. सी. पी. सी. आर.) v. हरियाणा और अन्य राज्य ने 9 अप्रैल, 2013 को निर्णय लिया और मनु/पीएच/0599/2013 [2018] 2 एस. सी. आर. के रूप में सूचित किया।

नागरिक समाज के सदस्य। हमारी राय में, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई के गठन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि पुलिस और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारक इन दोनों निकायों के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल हों।

62. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य भारत सरकार द्वारा बनाए गए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 84 और नियम 85 में विस्तृत हैं। [यह ध्यान दिया जा सकता है कि कुछ राज्यों ने अपने स्वतंत्र नियम बनाए हैं, लेकिन हम उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं]। कार्य विविध, व्यापक और जीवन में सुधार के लिए तैयार हैं।

विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से और सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ बच्चों की स्थिति।

63. जेजे अधिनियम और एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर द्वारा निर्धारित नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, जेजे अधिनियम की धारा 106

राज्य स्तरीय बाल संरक्षण सोसायटी और जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई के गठन का प्रावधान है। जेजे अधिनियम की धारा 106 इस प्रकार हैः

बच्चों से संबंधित मामलों को उठाने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी इस अधिनियम का कार्यान्वयन, जिसमें इस अधिनियम के तहत संस्थानों की स्थापना और रखरखाव, बच्चों और उनके संबंध में सक्षम अधिकारियों की अधिसूचना शामिल है।

संबंधित विभिन्न आधिकारिक और गैर-आधिकारिक एजेंसियों के साथ पुनर्वास और समन्वय और ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो निर्धारित किए जाएं।

64. उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन मोटे तौर पर इंगित करता है कि राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिले का प्राथमिक कार्य बाल संरक्षण इकाई जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए है। इसके अलावा, ये निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि जेजे अधिनियम के तहत संस्थानों की स्थापना और रखरखाव किया जाए, बच्चों और उनके पुनर्वास के संबंध में सक्षम अधिकारी मौजूद हों और इन दोनों निकायों को सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करने की भी आवश्यकता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

उनके व्यापक कार्यों को पूरा करने के लिए। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नागरिक समाज की भागीदारी एक प्रगतिशील कदम है और इन दोनों निकायों से समय-समय पर उनकी सहायता लेने की उम्मीद की जाती है।

65. यदि ये दोनों निकाय वास्तव में अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और कार्यों को उनसे अपेक्षित तरीके से करते हैं, तो

जेजे एक्ट अब कोई मुद्दा नहीं रहेगा। दुर्भाग्य से, हमें सूचित किया गया है कि ये निकाय कई स्थानों पर या जिस तरह से अपेक्षित हैं, उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं और कई जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन भी नहीं किया गया है। हम सुधारात्मक कदमों की उम्मीद करते हैं।

सभी संबंधितों द्वारा लिया जाना। ((iii) किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियाँ

66. जेजेबी की स्थापना के संबंध में, हमें यह समझने के लिए कहा गया था कि अब अधिकांश जिलों में जेजेबी है, लेकिन यह सही समय है कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में जेजेबी होना चाहिए। एक अपवाद शायद बनाया जा सकता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में जहां शायद कोई किशोर अपराध नहीं है या कुछ ऐसे जिले हो सकते हैं जहां पूछताछ की संख्या बहुत कम है, जिस स्थिति में जेजेबी उचित रूप से अपनी बैठकें निर्धारित कर सकता है। इसी तरह, एक 'सर्किट जेजेबी' पर विचार किया जा सकता है यदि कुछ आस-पास के जिले हैं जहां लंबित पूछताछ की संख्या है बहुत कम।

67. हमें यह भी समझाया गया है कि जेजेबी के सदस्यों के रूप में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति आवश्यक नहीं है

जेजे अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार। इस संबंध में प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैः

" 4. किशोर न्याय बोर्डः - 1. XXX XXX

2. एक बोर्ड में कम से कम तीन साल का अनुभव रखने वाला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट जो मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिसे इसके बाद प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में संदर्भित किया गया है) नहीं होगा और दो सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह से चुने जाएंगे जैसे कि निर्धारित किया जा सके, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, एक पीठ का गठन करेगी और ऐसी प्रत्येक पीठ को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या, जैसे -
मामला प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है।

3. किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, [2018] 2 एस. सी. आर. में सक्रिय रूप से शामिल न हो।

या कम से कम सात वर्षों के लिए बच्चों से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियाँ

या बाल मनोविज्ञान में डिग्री के साथ एक अभ्यास पेशेवर,

मनोचिकित्सा, समाजशास्त्र या कानून।

4. XXX XXX

5. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास, कानूनी प्रावधानों और न्याय पर बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट सहित सभी सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, निम्नलिखित प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाए:

नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि।

6. और 7. XXX XXX XXX।

68. जेजेबी के सदस्यों के रूप में सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन आदर्श नियमों के नियम 87 के साथ पठित नियम 88 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। यह सराहना की जानी चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति गंभीर व्यवसाय है, क्योंकि वे जेजे अधिनियम के तहत जांच करते समय अपने अनुभव-व्यावहारिक और पेशेवर-को लाते हैं। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह सराहना की जाती है कि सामाजिक कार्यकर्ता भी जांच कर सकते हैं।

प्रधान मजिस्ट्रेट से स्वतंत्र, जैसा कि जेजे अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान किया गया है। हालाँकि, जांच का अंतिम निपटान प्रधान मजिस्ट्रेट के बिना नहीं हो सकता है जैसा कि जेजे अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के परंतुक में अनिवार्य है। इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी है

सामाजिक कार्यकर्ता एक पूछताछ के दौरान और उसके स्वभाव के समय भी सार्थक योगदान दें। 69. इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रधान मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण है

इस पर न केवल कानून और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता के दृष्टिकोण से बल्कि जेजेबी के संवेदीकरण, मामले के प्रबंधन और बाल अधिकारों के निर्माण के दृष्टिकोण से भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर के लिए जेजेबी के भीतर बाल अनुकूल वातावरण और वातावरण। हमें ऐसा लगता है कि जे. जे. बी. एस. के कामकाज के इन पहलुओं पर ज्यादा विचार नहीं किया गया है और वह शायद संपूर्णा बेहुरा बनाम है।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

इसका कारण यह है कि ऊपर बताए गए अनुसार बहुत बड़ी संख्या में पूछताछ लंबित है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सूची में सबसे ऊपर है। 70. जेजेबी के कामकाज पर, नैसुल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले से निम्नलिखित अंश का उल्लेख करना उचित है।

खातून वी। असम राज्य और Ors.5

" मामले का दूसरा परेशान करने वाला पहलू यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड वास्तव में किशोर के मामले से निपटने के लिए नहीं बैठा या इकट्ठा नहीं हुआ। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मूल मामले के अभिलेखों से हम पाते हैं कि मामले में पारित सभी आदेश पत्र, जिनमें जमानत से इनकार करने वाले किशोर भी शामिल हैं, सभी पर केवल प्राचार्य के हस्ताक्षर हैं किशोर न्याय बोर्ड के मजिस्ट्रेट। ऐसा कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि बोर्ड के दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य कभी भी किशोर के पिता के जमानत देने के अनुरोध पर विचार करने के लिए मिले। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि विवेक का प्रयोग किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए न कि केवल प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा।

71. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के साथ-साथ एन. ए. एल. एस. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने की गई दलीलें सुझाव देती हैं

कि जेजेबी की दैनिक बैठकें नहीं होती हैं। बेशक, यह प्रत्येक जेजेबी के समक्ष लंबित पूछताछ की संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यदि बड़ी संख्या में पूछताछ लंबित हैं, तो जेजेबी का यह दायित्व है कि वह दैनिक आधार पर बैठे ताकि जांच जेजे अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जा सके। यह किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है यदि

जाँच काफी समय तक लंबित रहती है-जाँच के निपटारे में देरी से किसी को लाभ नहीं होता है। इस संदर्भ में, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि जहां बड़ी संख्या में पूछताछ लंबित हैं, वहां राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के लिए यह सार्थक होगा कि -

एक से अधिक जेजेबी रखने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, दिल्ली में किसी भी समय तीन जेजेबी काम कर रहे हैं और इसका कारण बड़ी संख्या में लंबित पूछताछ है। एक जिले में एक से अधिक जेजेबी की स्थापना की आवश्यकता का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने के बाद कुछ अन्य राज्य सरकारों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों द्वारा भी इसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं।

72. सुनवाई के दौरान, हमने राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले एक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था कि क्या 5 2011 क्राई एल. जे. 326 = 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन गौ 225 [2018] 2 एस. सी. आर.

जेजेबी के पास पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं। दुर्भाग्य से, प्रतिक्रिया

काफी गरीब था और हमें केवल यह बताया गया कि पर्याप्त कर्मचारी हैं

उपलब्ध है। यह सराहना की जानी चाहिए कि एक जेजेबी वस्तुतः एक अदालत की प्रकृति में है, हालांकि यह एक मुकदमा नहीं चलाता है, बल्कि केवल एक जांच करता है। फिर भी, इसे कुशल तरीके से अपने कार्यों को करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जेजेबी के कई प्रशासनिक कार्य भी हैं और उन्हें उचित ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जेजेबी, अवलोकन गृह के अधिकारियों, पुलिस, कानून के साथ संघर्ष में किशोर और उस किशोर के माता-पिता और पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ-साथ कानून के साथ संघर्ष में किशोर के बीच प्रभावी समन्वय हो सके। अगर जेजेबी को प्रभावी ढंग से काम करना है तो इन प्रशासनिक कर्तव्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और एक अनौपचारिक बयान है कि जेजेबी के पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, हालांकि संभवतः सही है।

जेजेबी के समक्ष जाँच में भाग लेने वाले हितधारकों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए न तो यहाँ और न ही वहाँ। 73. इस संदर्भ में, यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता वकीलों की सख्त आवश्यकता है जो संघर्ष में किशोरों की सहायता कर सकें

कानून के साथ। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे पूरी गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। जब तक किसी बच्चे को पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, तब तक यह उसके भविष्य को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से अगर कानून के साथ टकराव में बच्चे को दोषी पाया जाता है और एक विशेष गृह में रखा जाता है। अपनी ओर से, एन. ए. एल. एस. ए. ने कानूनी सहायता वकीलों के प्रशिक्षण के लिए एक नियमावली तैयार की है और हमारा मानना है कि यह न केवल कानूनी सहायता वकीलों के लिए बेहद उपयोगी होगा जो कानून के साथ संघर्ष में किशोरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बल्कि आम तौर पर कानूनी सहायता वकीलों के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। इसी तरह, अभियोजकों को भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है और हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें जेजे अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी, जो समाज में कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर को फिर से एकीकृत करना और उस किशोर का पुनर्वास करना है।

74. एक प्रभावी जांच करने के संदर्भ में, एक परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है और न ही हम कम करके आंका जा सकता है।

परिवीक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई सटीक सामाजिक जांच रिपोर्ट का महत्व। मॉडल नियमों के नियम 64 में परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों का विवरण दिया गया है और यह इस प्रकार है:

" 64. परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य। — (1) पुलिस या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से जानकारी प्राप्त होने पर

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) का खंड (ii), बोर्ड से किसी औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना, परिवीक्षा अधिकारी

संपूर्णा बेहुरा बनाम के अनुसार बच्चे की परिस्थितियों की जांच करेगा।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

बोर्ड द्वारा की गई जाँच को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड को प्रपत्र 6 में एक सामाजिक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(2) सामाजिक जाँच रिपोर्ट में जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रावधान होना चाहिए, जिसमें वृद्धि करने वाले और कम करने वाले कारक शामिल हैं।

(i) प्रपत्र 6 में बच्चे की सामाजिक जांच करना; ((ख) बोर्ड और बाल न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेना और आवश्यकता पड़ने पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

((ग) बच्चे की समस्याओं को स्पष्ट करना और संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों से निपटना।

((iv) अभिविन्यास, निगरानी, शिक्षा, व्यावसायिक और पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना। (v) बच्चे और प्रभारी व्यक्ति के बीच सहयोग और समझ स्थापित करना;

(vi) परिवार के साथ संपर्क विकसित करने में बच्चे की सहायता करना और परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना;

(viii) सामाजिक जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अन्य जिलों और राज्यों में परिवीक्षा अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित करना, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई;

(ix) स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित करना और

बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण को सुविधाजनक बनाने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संगठन;

(x) रिलीज के बाद नियमित रूप से बच्चे की मदद और मार्गदर्शन करना, सामाजिक मुख्यधारा में उनकी वापसी को सक्षम और सुविधाजनक बनाना; [2018] 2 एस. सी. आर.

(xi) व्यक्तिगत देखभाल योजना और पोस्ट रिलीज योजना तैयार करने के लिए

बच्चा;

(xii) व्यक्ति के अनुसार परिवीक्षा पर रखे गए बच्चों की निगरानी करना।

देखभाल योजना;

(xiii) बच्चे की देखरेख में उसके निवास और उसके द्वारा उपस्थित रोजगार या विद्यालय का नियमित दौरा करना।

ऐसे बच्चे और फॉर्म 10 के अनुसार आवधिक रिपोर्ट जमा करें;

(xiv) जहां भी संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से लेकर अवलोकन गृह, विशेष घर, सुरक्षा या फिट सुविधा के स्थान तक बच्चों के साथ जाना;

(xv) समय-समय पर सुरक्षा के स्थान पर बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करना और मनो-सामाजिक सहित रिपोर्ट तैयार करना और इसे बाल न्यायालय को भेजना;

(xvi) बाल न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन करना;

(xvii) एक डायरी बनाए रखना या अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए रजिस्टर करना जैसे कि उसके द्वारा की गई यात्राएं, सामाजिक जांच रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार किया गया, उसके द्वारा किया गया अनुवर्ती कार्रवाई और पर्यवेक्षण रिपोर्ट

उसके द्वारा तैयार किया गया;
(xviii) सामुदायिक सेवाओं के विकल्पों की पहचान करना और

सुविधा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित करना बच्चों का पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण; और

(xix) कोई अन्य कार्य जो सौंपा जाए।

75. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एक परिवीक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है कि एक किशोर

कानून के साथ संघर्ष को जेजेबी के समक्ष पर्याप्त प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई दी जाती है और जांच इस तरह से की जाती है जो कानून के साथ संघर्ष में किशोर के पुनर्वास के लिए अनुकूल हो। इस संबंध में, एक व्यक्तिगत देखभाल योजना और पोस्ट रिलीज योजना की तैयारी का बहुत महत्व है और इसमें एक परिवीक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

76. एक बार फिर, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक परिवीक्षा अधिकारी को उसके बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण, संवेदनशीलता और जागरूकता दी जानी चाहिए।

उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ। एन. ए. एल. एस. ए. ने परिवीक्षा अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करके इस संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम. सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ एम. डब्ल्यू. सी. डी. से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करें कि एन. ए. एल. एस. ए. संपूर्णा बेहुरा बनाम द्वारा सुझाए गए तर्ज पर परिवीक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए।

समय के साथ वयस्क सीखने की तकनीकों, प्रशिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की सामग्री में सुधार किया जा रहा है।

77. सभी पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलें और जेजेबी से संबंधित हमारे विचार और निष्कर्ष समान रूप से हैं

सी. डब्ल्यू. सी. पर लागू होता है और उन्हें दोहराना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए सी. डब्ल्यू. सी. की सहायता के लिए कानूनी सहायता वकीलों की नियुक्ति करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है-यह मामले-दर-मामले के आधार पर निर्भर करेगा और केवल एक न्याय मित्र के रूप में सी. डब्ल्यू. सी. को कानून के प्रश्न पर सलाह देने के उद्देश्य से, आवश्यकता पड़ने पर।

उठें।

78. हमें कुछ हद तक दुर्भाग्य से सूचित किया गया कि बाल कल्याण समितियों को कभी-कभी 'द्वितीय श्रेणी निकायों' के रूप में माना जाता है और उन्हें नियमित रूप से मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, वे बहुत खराब बुनियादी सुविधाओं वाली इमारतों में अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए मजबूर हैं। यह जेजे अधिनियम के काम करने पर एक दुखद टिप्पणी है, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों के कंधों पर है, जिन्हें स्थिति को सुधारना चाहिए।

जेजेबीएस और सीडब्ल्यूसी के साथ कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों की कमी। प्रौद्योगिकी न केवल प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है

जेजेबी और सीडब्ल्यूसी, लेकिन कई अन्य आवश्यकताओं के साथ-साथ लापता बच्चों का पता लगाने और उनका पता लगाने, खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों, तस्करी किए गए बच्चों, बाल देखभाल संस्थानों को छोड़ने वाले बच्चों, बाल यौन शोषण के पीड़ितों और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए भी। यह सर्वविदित है कि हमारा देश एक तकनीकी शक्ति है और अगर हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने और बच्चों के लाभ के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से प्रौद्योगिकी के लाभों का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ हैं, तो एक तकनीकी शक्ति के रूप में हमारी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी और केवल कागज पर ही रहेगी। डेटा, विशेष रूप से जिस प्रकार के परिमाण से हम संबंधित हैं, उसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से आसानी से एकत्र किया जा सकता है। यह संसाधनों की योजना और प्रबंधन में बहुत सहायक होगा और एम. डब्ल्यू. सी. डी. और बाल अधिकारों से संबंधित अन्य लोगों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

80. इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कंप्यूटर और परिधीय उपकरणों का उपयोग जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के प्रशासनिक कामकाज में बहुत बड़ा योगदान देगा। भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों को इस पर ध्यान देने और आवश्यक प्रावधान करने की आवश्यकता है

स्पष्ट कारणों से जे. जे. बी. एस. और सी. डब्ल्यू. सी. को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। विद्वान वकील द्वारा हमें सूचित किया गया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति के परामर्श से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का काफी उपयोग किया है और हमारा विचार है कि

कदमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी तरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग पर भी उचित मामलों में विचार किया जा सकता है जहां कानून के साथ संघर्ष में किशोर को कुछ असुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है।

निगरानी प्रणाली। एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा दायर हलफनामों में से एक में और विज्ञापित किया गया ऊपर के लिए, यह कहा गया था कि जबकि लगभग हर राज्य सरकार ने वर्ष 2014-15 के लिए प्रासंगिक जानकारी भरी है, लेकिन अवधि 2015-16 के संबंध में प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कम थी। कहने की जरूरत नहीं है कि जानकारी को अद्यतन करना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि कुशल योजना बनाई जा सके जो अंततः बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाएगी।

बच्चों से संबंधित मुद्दे। हम उल्लेख कर सकते हैं कि राज्य सरकारों को तिमाही में एक बार केंद्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली पर जानकारी भरने की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से यह एक कठिन काम नहीं हो सकता है। (v) पुलिस की भूमिका

82. एक अत्यंत महत्वपूर्ण हितधारक-प्रभावी में

बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करना, उनमें से एक महिला है। नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। धारा 107 जेजे अधिनियम इस प्रकार हैः

संपूर्णा बेहुरा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

" 107. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर

पुलिस इकाई। — 1. प्रत्येक पुलिस थाने में, कम से कम एक अधिकारी, सहायक उप-निरीक्षक के पद से कम नहीं, योग्यता के साथ, उचित प्रशिक्षण और अभिविन्यास को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है जो विशेष रूप से बच्चों के साथ पीड़ितों या अपराधियों के रूप में, पुलिस के साथ समन्वय में व्यवहार करता है।

2. बच्चों से संबंधित पुलिस के सभी कार्यों को समन्वित करने के लिए राज्य सरकार विशेष किशोर पुलिस इकाइयों का गठन करेगी। प्रत्येक जिले और शहर में, पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के पद से कम के एक पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में और उप-धारा (1) के तहत नामित सभी पुलिस अधिकारियों और बाल के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर

3. विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के सभी पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से बच्चे के रूप में शामिल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कल्याण पुलिस अधिकारी, ताकि वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें।

4. विशेष किशोर पुलिस इकाई में रेलवे पुलिस भी शामिल है।

बच्चों के साथ व्यवहार करना "।

एसजेपीयू। दुर्भाग्य से, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की गई है, लेकिन आम तौर पर मॉडल नियमों के नियम 86 में कहा गया है। हमें यह भी समझने के लिए कहा गया है कि सी. डब्ल्यू. पी. ओ. और एस. जे. पी. यू. के लिए प्रभावी प्रशिक्षण की कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई है और उनमें से कई केवल प्रतीकात्मक रूप से और केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कानून उनके अस्तित्व की अपेक्षा करता है। चूंकि सी. डब्ल्यू. पी. ओ. और एस. जे. पी. यू. के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट या पहचाना नहीं गया है, इसलिए हमारी राय में यह सही समय है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी राज्य पुलिस अकादमियों के साथ परामर्श सी. डब्ल्यू. पी. ओ. और एस. जे. पी. यू. के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पहचान करता है। इस संबंध में, हम ध्यान दे सकते हैं कि एन. ए. एल. एस. ए. ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन से जुड़े किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। शायद यह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और पुलिस अकादमियों के माध्यम से उनके प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है।

84. द मैटर ऑफ लेटर ऑफ सनत कुमार सिन्हा (मुख्य समन्वयक), बाल सखा बनाम में पटना उच्च न्यायालय के समक्ष लगाए गए आरोपों से प्रशिक्षण के महत्व की सराहना की जा सकती है। मुख्य सचिव, सरकार के माध्यम से बिहार राज्य। बिहार और ओआरएस। 6 उस मामले में यह आरोप लगाया गया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए पुलिस स्टेशन से सिविल कोर्ट में जाने के दौरान वर्दी में एक बच्चे को पुलिसकर्मियों ने हथकड़ी लगा दी थी। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया कि 2000 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बच्चे की पहचान का खुलासा किया गया था। बेशक, पटना उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और उचित प्रशिक्षण और बचाव के माध्यम से इससे बचा जा सकता था।

संवेदनशीलता।

85. आम तौर पर पुलिस के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि रोटेशन की नीति के कारण, अक्सर ऐसा होता है कि एक पुलिस अधिकारी के तुरंत बाद वह अपना प्रशिक्षण पूरा करता है कि अधिकारी को दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रयास की बर्बादी है और तबादलों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने का एक तरीका यह है कि प्रत्येक राज्य पुलिस अकादमी राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे और राज्य सरकार अपने अधिकारियों की सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करे।

86. इसी तरह, भारत सरकार को बच्चों से निपटने के लिए रेलवे पुलिस को शामिल करने की आवश्यकता है। कोई जानकारी या डेटा नहीं है

इस संबंध में आने वाले और पक्षों के विद्वान वकील इस पहलू के संबंध में हमारी सहायता करने में असमर्थ थे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार रेलवे के माध्यम से इस मामले को कुछ हद तक तात्कालिकता के साथ देखेगी। विद्वान वकील ने हमें बताया कि रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में भागे हुए बच्चे और बच्चे मादक पदार्थों का सेवन करते पाए जाते हैं

(और अन्य स्थानों पर) कूड़ा उठाने वालों के रूप में काम करना या अन्य मामूली गतिविधियाँ करना। हमारे सामने यह प्रस्तुत किया गया था कि अन्यथा भी, ऐसे बच्चों में नशीली दवाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। विशेष रूप से ऐसे बच्चों के लिए और आम तौर पर कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी व्यसन केन्द्र स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(vi) बाल देखभाल संस्थान

87. बाल देखभाल संस्थानों के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनमें से कई जर्जर इमारतों में स्थित हैं और कम से कम आरामदायक जीवन के लिए शायद ही अनुकूल हैं। राज्य सरकारें

6 मनु/बी. एच./0384/2008 सम्पूर्णा बेहुरा बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

यह समझना चाहिए कि वे बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में रखकर कोई दान नहीं कर रहे हैं-वे केवल अपने वैधानिक कार्य कर रहे हैं

और संवैधानिक दायित्व। इसलिए, प्रत्येक राज्य में सभी बाल देखभाल संस्थानों का मूल्यांकन और मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि उनकी स्थिति, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके। कर्मचारियों की आवश्यकताएँ। बच्चे इन संस्थानों में रहते हैं, इसलिए नहीं कि वे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। समाज का दायित्व इन बच्चों को सांत्वना और आराम प्रदान करना और देखभाल के न्यूनतम मानकों का पालन करना है। मॉडल नियमों में बेहतर बाल देखभाल संस्थानों और उनकी आवश्यकताओं के लिए विवरण शामिल हैं। राज्य सरकारों को केवल इन न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करना है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय में अपने स्वयं के प्रस्ताव v पर की गई टिप्पणियों से कुछ राज्य प्रबंधित बाल देखभाल संस्थानों की स्थिति सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट होती है। पंजाब राज्य (ऊपर) निम्नलिखित प्रभाव सेः

..... उक्त ऑब्जर्वेशन होम की दयनीय स्थिति दर्शाती है कि सोनीपत में ऑब्जर्वेशन होम में दो बैरक और ऊँची दीवारों के साथ सामने की ओर एक आंगन था। प्रवेश द्वार जेल के द्वार के समान था। इस गृह में किशोरों के लिए मनोरंजन सुविधाओं या खेल के मैदान का कोई स्रोत नहीं था। जल निकासी प्रणाली में रुकावट के कारण आंगन रुके हुए पानी से भर गया था और आंगन का उपयोग करने के लिए बैरक से बाहर जाने के लिए शायद ही कोई जगह थी। पूछताछ से पता चला कि पीने योग्य पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। शौचालय और रसोईघर भी अंदर थे।

दयनीय स्थिति। अवलोकन गृह का प्रबंधन एक एकल शिक्षक द्वारा किया जाता था, जो एक शिक्षक का काम करने के अलावा, गृह के समग्र प्रशासन की भी देखभाल कर रहा था। इस तरह से कोई सार्थक शिक्षा नहीं दी जा रही थी।

बच्चे। ऑब्जर्वेशन होम को जेल से भी बदतर पाया गया। होशियारपुर (पंजाब) में अवलोकन गृह लगभग समान जीर्ण-शीर्ण स्थितियों के साथ बेहतर नहीं पाया गया।

88. शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल (शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों) और पर्याप्त पोषण प्रदान करने जैसे राज्य सरकारों पर संविधान द्वारा बाध्य अतिरिक्त कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। ये ऐसे विशाल क्षेत्र हैं जिन पर आयोगों के तहत स्थापित निकायों और संस्थानों द्वारा पूरी ईमानदारी से विचार करने की आवश्यकता है।

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 और जेजे अधिनियम। संपूर्ण बेहुरा जैसे चिंतित नागरिक केवल प्रणालीगत कार्यान्वयन [2018] 2 एस. सी. आर. पर प्रकाश डाल सकते हैं।

कर्तव्य और कार्य। लेकिन, ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, अदालतें संवैधानिक रूप से संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जनहित में एक निरंतर आदेश जारी करने के लिए बाध्य हैं, जो अनिवार्य रूप से कार्यपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि कार्यपालिका लगातार लापरवाही के साथ संसद के जनादेश की अनदेखी करती है, तो यह केवल हमारे देश के बच्चों के लिए नुकसानदायक होगा।

89. इस संदर्भ में, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि एम. डब्ल्यू. सी. डी. ने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित और प्रबंधित बाल देखभाल संस्थान जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत हों। हम काफी आश्चर्यचकित हैं कि कुछ संस्थानों से पंजीकरण का कुछ विरोध हुआ है, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सूचित किया गया है, और इसलिए हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कानून का पालन तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि यह क़ानून की पुस्तकों में मौजूद है। इनमें से कुछ बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन करने वालों के लिए यह असहज हो सकता है, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य है और सार्वजनिक हित में यह सुनिश्चित करने के लिए कि देखभाल के न्यूनतम मानकों को बनाए रखा जाए और उन संस्थानों में बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कभी-कभी बाल देखभाल संस्थानों से तस्करी और बाल यौन शोषण के आरोप लगते हैं, जिनमें से कुछ असत्यापित हो सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी शर्मनाक आरोप से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पंजीकरण, उनके प्रबंधन और कार्यप्रणाली की राज्य द्वारा कड़ी निगरानी की जाए।

सरकारें और एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा।

90. विद्वान वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि सभी बाल देखभाल में

संस्थान, आयु के संदर्भ में और जहां भी लागू हो अपराध की प्रकृति के आधार पर बच्चों का अलगाव होना चाहिए। कथित रूप से ऐसा किया जाता है ताकि यौन शोषण या किसी अन्य प्रकार की हिंसा की संभावना समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी संस्थानों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे व्यावसायिक या निरंतर शिक्षा प्रदान करें ताकि कानून के साथ संघर्ष में बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को समाज में फिर से एकीकृत और मुख्यधारा में लाया जा सके। ये सभी गंभीर चिंता के विषय हैं और राज्य सरकारों और एस. सी. पी. सी. आर. द्वारा इनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

91. इस बात पर जोर दिया गया कि सभी बाल देखभाल संस्थानों में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें

कुशलता से। यह भी सुझाव दिया गया कि जेजेबीएस और सीडब्ल्यूसी का स्थान बच्चों से बचने के लिए बाल देखभाल संस्थानों के निकट होना चाहिए संपूर्ण बेहुरा बनाम।

92. बाल देखभाल संस्थानों के संबंध में की गई प्रस्तुतियों में से एक यह थी कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ऐसा कर सकते हैं यह पता लगाने के लिए कि क्या वे वास्तव में वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। हमारी राय है कि यह 'आगंतुक' प्रणाली निश्चित रूप से लागू करने लायक है और हम उम्मीद करते हैं कि नालसा इसके साथ आगे बढ़ेगा।

दिया गया सुझाव। वास्तव में, 2006 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में

(vii) किशोर न्याय कोष 93. जेजे अधिनियम किशोर न्याय कोष के गठन का प्रावधान करता है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने किशोर न्याय कोष में राज्य सरकारों के योगदान से संबंधित आंकड़े हमारे सामने रखे। हम इस बात से काफी व्यथित हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने किशोर न्याय कोष की स्थापना भी नहीं की है, जबकि एक या दो राज्य सरकारों ने केवल कुछ हजार रुपये की शर्मनाक राशि के साथ कोष की स्थापना की है। हम आश्चर्य करते हैं कि इन राज्य सरकारों द्वारा बच्चों के कल्याण की देखभाल कैसे की जा सकती है। जाहिर है, ये राज्य सरकारें बच्चों के कल्याण के बारे में गंभीरता से चिंतित नहीं हैं, जो अफ़सोस की बात है। यह अभी तक

बच्चों के अधिकारों के प्रति आधिकारिक उदासीनता और चिंता का एक और उदाहरण। (viii) मूल्यांकन और मूल्यांकन

94. अंत में, यह उचित होगा कि अगले कुछ वर्षों के लिए हर छह महीने में किसी प्रकार का मूल्यांकन या सामाजिक लेखा परीक्षा की जाए।

जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना। संसद द्वारा 2000 के अधिनियम को लागू किए जाने के बाद से पर्याप्त समय बीत चुका है और निश्चित रूप से हमारे देश के बच्चे बहुत बेहतर के हकदार हैं और जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और 15 या 16 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। 2000 के अधिनियम के लागू होने के समय पैदा हुए अधिकांश बच्चे वयस्कता के करीब हैं और उनमें से कई [2018] 2 एस. सी. आर.

आयतन और दिशाएँ5. सभी विद्वान वकीलों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए देश में किशोर न्याय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, हमारा विचार है कि निम्नलिखित निर्देश दिए जाने चाहिए और हम करते हैं

1 .

महिला और बाल विकास मंत्रालय में

भारत सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. आर. एस. में सभी पदों को समय पर भरा जाए और इन वैधानिक निकायों को पर्याप्त कर्मचारी प्रदान किए जाएं ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें और काम कर सकें।

बच्चों के लाभ के लिए सार्थक।

एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

2 .

संसद द्वारा उनमें व्यक्त विश्वास को ध्यान में रखते हुए बड़ी गंभीरता के साथ कार्य और जिम्मेदारियां। इन वैधानिक संस्थानों में कोई पद अनिश्चित नहीं है। सुधार में इन निकायों की बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका है।

देश भर में बच्चों का जीवन।

3 .

राज्य स्तरीय बाल संरक्षण समितियाँ और जिला

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेजे अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और बाल देखभाल संस्थानों का प्रबंधन और रखरखाव इस तरह से किया जाए जो पोषण, शिक्षा, चिकित्सा लाभ, कौशल विकास और सामान्य जीवन स्थितियों सहित सभी मामलों में बच्चों के कल्याण के लिए अनुकूल हो। ये दोनों शरीर यह सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की सहायता लेने की अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि जेजे अधिनियम उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पदों में

4 .

जेजेबी और सीडब्ल्यूसी को तेजी से भरा जाता है।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल नियमों या नियमों के अनुसार। पदों को भरने में किसी भी देरी से बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह होना चाहिए

टाल दिया।

पूर्ण बेहुरा बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[मदन बी. लोकुर, जे.]

जेजेबीएस और सीडब्ल्यूसी को यह समझना चाहिए कि यह आवश्यक है

नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना ताकि कम से कम संख्या में किसी भी समय पूछताछ लंबित रहती है और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को कानून और सामाजिक न्याय के साथ संघर्ष करने वाले सभी किशोरों को न्याय दिया जाता है। यह एक

संवैधानिक दायित्व।

एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. को जेजे अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों पर समयबद्ध अध्ययन करना चाहिए। इन अध्ययनों के आधार पर, राज्य सरकारें और

विशेष रूप से एन. सी. पी. सी. आर. और एस. सी. पी. सी. आर. को जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परिवीक्षा अधिकारियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन के आधार पर, राज्य सरकार को आवश्यक संख्या में परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका किशोर के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।

कानून के साथ टकराव और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए आदर्श नियमों और नियमों, यदि कोई हों, में उनके कर्तव्यों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। एम. डब्ल्यू. सी. डी. को रचनात्मक उपयोग करना जारी रखना चाहिए

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी न केवल डेटा और सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी

जेजे अधिनियम से जुड़े मुद्दे जैसे कि लापता बच्चों, तस्करी किए गए बच्चों का डेटाबेस होना और गोद लेने के मामलों का अनुवर्ती कार्रवाई करना आदि। प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ पूरी तरह से, प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा

काफी हद तक, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

बच्चों का जीवन।

पुलिस के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों के साथ-साथ किए गए अपराधों से संबंधित मुद्दों पर पहले उत्तरदाता के रूप में अपनी भूमिका की सराहना करे।

बच्चों के खिलाफ। इसलिए सार्थक विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना करने और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द जेजे अधिनियम के संदर्भ में नियुक्त करने की आवश्यकता है, न कि केवल कागज पर। इस संदर्भ में, ऐसी इकाइयों [2018] 2 एस. सी. आर. के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट रूप से पहचान करना आवश्यक है।

और अधिकारी और जहां भी आवश्यक हो, बच्चों के लाभ के लिए उपलब्ध विशेषज्ञता, या तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो या गैर सरकारी संगठनों से मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए।

10. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और राज्य पुलिस अकादमियों को नियमित रूप से अपने पाठ्यक्रम के एक हिस्से के रूप में बाल अधिकारों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए, न कि एक अलग या अलग तरीके से।

छिटपुट घटना।

11. बाल देखभाल संस्थानों और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है

यह सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि ऐसे सभी संस्थान पंजीकृत हों ताकि बच्चे इन संस्थानों में सम्मानजनक जीवन जी सकें और लापता बच्चों के मुद्दे और

तस्करी पर भी ध्यान दिया जाता है।

12. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वे सभी जिलों में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आगंतुकों के रूप में नियुक्त करें। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रबंधन

और इन संस्थानों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पूर्ण विस्तार करेंगे।

सरकारी अधिकारियों को सहायता और सहयोग

इस उद्यम के साथ-साथ आगंतुकों के लिए भी।

13. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रभावी प्रतिक्रिया के अभाव के कारण जेजे फंड थोड़ा शर्मिंदा करने वाला है। अगर बच्चों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो हम सोच कर कांप जाते हैं

निधियों का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है।

14. एनएएलएसए ने जेजे अधिनियम से संबंधित डेटा और जानकारी एकत्र करने में उल्लेखनीय काम किया है, जैसा कि उसके द्वारा तैयार की गई तीन भाग की रिपोर्ट से पता चलता है। हम एन. ए. एल. एस. ए. से इस कवायद को आगे बढ़ाने और 30 अप्रैल, 2018 से पहले इसी तरह की रिपोर्ट को पूरा करने का अनुरोध करते हैं ताकि सभी नीति बनाने और निर्णय लेने वाले अधिकारियों को अपने मामलों की योजना बनाने में सहायता मिल सके। 15. प्रशिक्षण के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। यह बाल अधिकारों और संपूर्णा बेहुरा बनाम को समझने और उनकी सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत और ओआरएस का संघ। [मदन बी. लोकुर, जे.]

जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। जेजेबी और सीडब्ल्यूसी, परिवीक्षा अधिकारी, बाल संरक्षण समितियों के सदस्य और जिला बाल संरक्षण इकाइयां, विशेष किशोर पुलिस इकाइयां, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और बाल देखभाल संस्थानों के प्रबंधकीय कर्मचारियों जैसे सभी अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और उनकी स्थिति के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एन. ए. एल. एस. ए. द्वारा इस संबंध में एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि एन. सी. पी. सी. आर. एस. सी. पी. सी. आर. की सहायता से इस पहल को आगे बढ़ाएगा ताकि

जेजे अधिनियम का सार्थक कार्यान्वयन है।

16. चूँकि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी बाल अधिकारों और जेजे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह उचित होगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय और प्रत्येक की किशोर न्याय समिति

उच्च न्यायालय अपने राज्य में बच्चों के कल्याण में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखे हुए है। भागीदारी और प्रक्रिया बनाने के लिए

अधिक सार्थक रूप से, हम प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने प्रस्ताव पर कार्यवाही दर्ज करने का अनुरोध करते हैं ताकि वैधानिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा सामना किए जाने वाले सड़क-अवरोधों को संबंधित सरकारी अधिकारियों को सुनने के बाद सार्थक रूप से संबोधित किया जा सके। इस निर्णय और आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के महासचिव द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय के महापंजीयक को भेजी जानी चाहिए ताकि स्वतः संज्ञान शुरू करने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जा सके।

कार्यवाही।

96. अंत में, हम प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध और आग्रह करते हैं कि वे प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल अदालतों और संवेदनशील गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार करें। जेजे अधिनियम के तहत जांच और अन्य कानूनों के तहत परीक्षण जैसे कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, भारतीय दंड संहिता के तहत यौन अपराधों के लिए परीक्षण और अन्य समान कानूनों को पीड़ित के लिए उच्च स्तर की संवेदनशीलता, देखभाल और सहानुभूति के साथ संचालित करने की आवश्यकता है। अक्सर यह कहा जाता है कि हमारी अदालतों में किसी अपराध के आरोपी किशोर या यौन अपराध की पीड़ित का अनुभव दर्दनाक होता है। हमें उनके प्रति कुछ करुणा रखने की आवश्यकता है-यहां तक कि संघर्ष में किशोर (2018) 2 एस. सी. आर.

कानून के साथ, क्योंकि वे निर्दोषता की धारणा के हकदार हैं-और बाल अनुकूल अदालतों और कमजोर गवाह अदालतों की स्थापना शायद एक ऐसा तरीका है जिसमें न्याय वितरण प्रणाली आसानी से प्रतिक्रिया दे सकती है।

उनका दर्द और पीड़ा। इस तरह की बाल अनुकूल अदालतों और कमजोर गवाह अदालतों का एक और लाभ यह है कि उनका उपयोग उन मुकदमों के लिए किया जा सकता है जिनमें वयस्क महिलाएं यौन अपराधों की शिकार होती हैं क्योंकि वे भी अक्सर हमारी अदालतों में इतनी अनुकूल स्थिति और वातावरण से आहत होती हैं।

97. हम संपूर्ण बेहुरा के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करते हैं

इस जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए और उपस्थित पक्षों के विद्वान वकील को इसे प्रतिकूल नहीं बनाने के लिए

कार्यवाही, लेकिन बच्चों के लाभ के लिए एक रचनात्मक प्रयास

हमारा देश।

98. याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

99. रजिस्ट्री को प्रत्येक के महापंजीयक से जवाब प्राप्त करने के बाद निर्देश के लिए 13 मार्च, 2018 को मामले को सूचीबद्ध करना चाहिए।

उच्च न्यायालय।

याचिका का निपटारा किया गया।

निधि जैन